यमुनानगर के 90 स्कूलों में हो रही दूषित पेयजल की सप्लाई

382 स्कूलों के पानी की जांच, 90 के सैंपल फेल; शहर में भी 209 जगहों का पानी पीने योग्य नहीं

सुरेंद्र मेहता/हप्र
यमुनानगर, 16 अक्तूबर

यमुनानगर जिले में जन स्वास्थ्य विभाग की जांच में 90 स्कूलों के पानी के सैंपल पीने योग्य नहीं पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिले के 382 स्कूलों में पानी की जांच की गई थी, जिनमें से करीब हर चौथे स्कूल के पानी का सैंपल अनफिट मिला। इतना ही नहीं, शहर के विभिन्न इलाकों में भी पानी के 209 सैंपल पीने योग्य नहीं पाए गए। सवाल यह है कि अगर समय रहते सैंपलों की जांच नहीं होती तो बच्चों और आम लोगों की सेहत पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता था?

मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग हरकत में आए। अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई और संबंधित स्कूलों में पानी की टंकियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। अब जन स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि प्रभावित स्कूलों में दोबारा सैंपल लिए गए, जो जांच में सही पाए गए हैं।

यमुनानगर के एक स्कूल में पानी पीते विद्यार्थी। -हप्र

स्कूलों को नोटिस, दोबारा लापरवाही पर कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लता ने बताया कि स्कूलों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पहले से निर्देश जारी हैं। जिन स्कूलों में दूषित पानी की बात सामने आई, उन्हें नोटिस देकर व्यवस्था सुधारने को कहा गया। उन्होंने बताया कि जिले के सभी हायर और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर लगाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन को पानी की टंकियों की नियमित सफाई और पानी की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में किसी स्कूल में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया तो संबंधित प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

टंकियों की सफाई नहीं होना बना वजह

जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता दिनेश बाबा के अनुसार, स्कूलों में पानी की सप्लाई सुबह पांच से आठ बजे तक होती है, जबकि स्कूलों का समय सुबह 8:30 से दोपहर दो बजे तक रहता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन पानी को टंकियों में स्टोर करके रखते हैं। अधिकांश मामलों में टंकियों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण पानी दूषित पाया गया। उपायुक्त और सांसद नवीन जिंदल के निर्देश पर स्कूलों में पानी की जांच करवाई गई थी। रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया और अब दोबारा लिए गए सैंपल सही मिले हैं।

शहर में भी 209 सैंपल फेल

दूषित पानी की समस्या केवल स्कूलों तक सीमित नहीं थी। जन स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कुल 4156 सैंपल लिए थे, जिनमें 3947 सही और 209 अनफिट पाए गए। जिले के शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में 225 ट्यूबवैल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 382 ट्यूबवैल के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच और दूषित पानी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी है।

हर चौथे स्कूल के पानी पर उठे सवाल

जन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले के 382 स्कूलों में पानी के सैंपल लिए गए। इनमें 292 स्कूलों के सैंपल सही पाए गए, जबकि 90 स्कूलों के पानी में पीने योग्य गुणवत्ता नहीं मिली। यानी करीब 24 प्रतिशत स्कूलों के पानी के सैंपल जांच में फेल रहे।

अनुभव अग्रवाल बंटी नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में निदेशक नियुक्त

अम्बाला शहर (हप्र) : अम्बाला शहर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाजसेवी अनुभव अग्रवाल बंटी को केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें कृषि विभाग के अंतर्गत नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अनेक लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर बधाई दी। अम्बाला प्रेस क्लब ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं। अनुभव अग्रवाल ने कहा कि वह अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से करेंगे।

शुगर मिल के पास भीषण हादसा, दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत

- पूर्व विधायक भगत राम के परपौत्र थे दो मृतक
- कार की बॉडी काटकर निकाले शव

कैथल, 16 अक्तूबर (हप्र)

करनाल रोड स्थित शुगर मिल के पास बृहस्पतिवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में दो सगे भाइयों समेत तीन युवकों की मौत हो गई। मृतकों में दो युवक पूर्व विधायक स्वर्गीय भगत राम के परपौत्र थे। तीनों कार में सवार होकर करनाल से कैथल लौट रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए और टायर निकलकर दूर जा गिरे।

मृतकों की पहचान खुराना रोड निवासी रक्षत (27), उनके बड़े भाई अभिषेक (29) और पड़ोस में रहने वाले कृष्ण (38) के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण पुलिस ने उसकी बॉडी कटवाकर तीनों शवों को बाहर निकलवाया। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया।

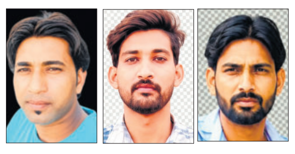

रक्षत, अभिषेक व कृष्ण के फाइल फोटो। -हप्र

परिवार में मातम

रक्षत और अभिषेक दोनों शादीशुदा थे। रक्षत का एक बेटा भी है। दोनों भाई नगर परिषद में कार्यरत थे, जबकि उनके पिता अशोक कुमार एक कंपनी में काम करते हैं। एक ही परिवार के दो जवान बेटों की मौत से घर में कोहराम मच गया। डीएसपी रोहताश ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

मास्टर ऋषिकांत ने किया करनाल इंटरनेशनल स्कूल का दौरा

करनाल, 16 अक्तूबर (हप्र)

करनाल इंटरनेशनल स्कूल में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बड़े भाई मास्टर ऋषिकांत के आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विद्यालय के चेयरमैन कर्नल अरुण दत्ता, जेनेसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स के प्रबंध निदेशक जितेंद्र अहलावत तथा निदेशक प्रकाश जोशी ने उनका अभिनंदन किया और विद्यालय परिसर का भ्रमण करवाया।

इस अवसर पर डॉ. विक्रम साराभाई ऑडिटोरियम में विद्यार्थियों के साथ संवाद सत्र आयोजित किया गया। इसमें मास्टर ऋषिकांत ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत के बचपन, प्रारंभिक जीवन और देश के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने के सफर से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता के लिए अनुशासन, समर्पण, दृढ़ संकल्प, नैतिक मूल्यों और निरंतर परिश्रम को जरूरी बताया।

विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक उनके विचार सुने। मास्टर ऋषिकांत ने विद्यालय के आधुनिक बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक वातावरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान कर्नल अरुण दत्ता, जितेंद्र अहलावत और प्रकाश जोशी ने उन्हें शॉल एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

डेरा गोविंदपुरा में किसान संगोष्ठी 27 को

सीवन, 16 अक्तूबर (निस)

- आचार्य देवव्रत बतायेंगे प्राकृतिक खेती के गुर

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 अक्तूबर को डेरा गोविंदपुरा स्थित डेरा किशने वाली कुई में किसानों की संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत किसानों को प्राकृतिक खेती के महत्व, तरीकों और लाभों की जानकारी देंगे। शहीद उधम सिंह इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रधान हरजिंदर सिंह चीका ने बताया कि संगोष्ठी का आयोजन पूर्व सरपंच गज्जन सिंह गोविंदपुरा के निवास पर किया जाएगा। हरजिंदर सिंह चीका ने सीवन और आसपास के किसानों व ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें संगोष्ठी का निमंत्रण दिया। इस मौके मलकीत सिंह, कुलदीप सिंह, परमजीत सिंह, हजारा सिंह, गज्जन सिंह, बलदेव सिंह, सुखवंत सिंह, तरसेम, अमरीक सिंह और सुरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

श्री ग्यारह रुद्री शिव मंदिर में रामलीला मंचन शुरू

कैथल में श्री ग्यारह रुद्री शिव मंदिर में रामलीला का शुभारंभ करते मुख्यातिथि प्रयाग राज बालू। -हप्र

कैथल, 16 अक्तूबर (हप्र)

श्री ग्यारह रुद्री शिव मंदिर, चंदाना गेट में श्री गणेश ड्रामेटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला का शुभारंभ श्री सनातन धर्म मंदिर सभा, हूडा सेक्टर-19 पार्ट-2 के प्रधान एवं समाजसेवी प्रयाग राज बालू ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर भगवान श्रीराम के वनवास प्रसंग का मंचन किया गया। कलाकारों ने भावपूर्ण प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को राम वनवास की कथा से रूबरू करवाया।

कार्यक्रम में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा के सचिव राहुल गर्ग, कोषाध्यक्ष सतपाल गर्ग, जगदीश सिंगला, कृष्ण सिंगला, नरेश गुप्ता, संजीव मित्तल, नवीन मित्तल, कृष्ण गुप्ता, वीरेंद्र मोहन, पवन गुप्ता और गोलू सिंगला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री गणेश ड्रामेटिक क्लब के संरक्षक बहादुर सैनी, प्रधान राज कुमार गोयल, उपप्रधान अशोक सैनी, डायरेक्टर धर्मवीर असिजा सहित अन्य पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। रामलीला के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्रीराम के आदर्शों, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं से जुड़ने का संदेश दिया जा रहा है।

सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा

कैथल, 16 अक्तूबर (हप्र)

भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने शुक्रवार को जिला नागरिक अस्पताल कैथल का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. रेनू चावला भी मौजूद रहीं। ज्योति सैनी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उपचार व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों को फल भी बांटे। ज्योति सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार आमजन को सुलभ, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है।

CENTRE FOR RESEARCH IN RURAL & INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Sector 19-A, Madhya Marg,
Chandigarh-160 019

Disposal of unusable computer itmes, scrap/ unserviceable itmes and 3 Cars. See details website: **https://www.crrid.res.in**

भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सूचना पत्र

परिचालन एवं अनुरक्षण मण्डल, बीबीएमबी, दिल्ली कार्यालय अधीन वर्तमान मे वर्ष 2026–27 के लिए ट्रेड शिक्षु लाईनमैन के 7 नं. पद (for ITI Trades) (1 नं. जनरल, 2 नं. एस. सी., 1 नं. एस.टी., 2 नं. ओबीसी व 1 नं. ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी) व इलेक्ट्रिशियन के 2 नं. पद (1) नं. जनरल व 1 नं. ओबीसी) online apprenticeship पोर्टल के माध्यम से भरे जाने है। बिजली आपूर्ति के सुचारू संचालन हेतु टेक्निकल कारणों के मद्देनजर, यदि दिए गए कोटे के अनुसार suitable उम्मीदवार नहीं मिलता है तो, मेरिट के आधार पर अन्य उपलब्ध उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा।

पदों का विस्तृत विवरण निम्न तालिकानुसार है :

Eligibility Criteria for ITI Trade Apprentices is as under :-

i) The candidate must have passed 10th class examination with minimum 40% marks, from recognized Board and also possess National Trade certificate in the notified trade issued by the National Council for Vocational Training/State Council for vocational Training in respective trade.

ii) The candidate must have completed the relevant ITI course.

iii) The candidate must have Adhaar Card (compulsory), which is required for online registration.

योग्य अभ्यार्थी सभी दस्तावेजों सहित apprenticeship पोर्टल (**https://apprenticeshipindia.gov.in**) पर दिनांक 15.10.2026 (दोपहर 1:00 बजे से) से 14.11.2026 (साँय 17:00 बजे तक) तक अप्लाई कर सकते हैं।

कार्यकारी अभियंता, ओ. एंड एम. मंडल, बीबीएमबी, दिल्ली

329-पीआर-बोर्ड सचिवालय-4 **कल के बेहतर भविष्य के लिए आज ही ऊर्जा बचाएं**

25 साल बाद कुरुक्षेत्र में फिर होंगे दो दशहरा उत्सव

- अशोक अरोड़ा के प्रयासों से वर्ष 2000 में एक हुई थीं दोनों कमेटियां
- इस बार धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी अलग-अलग करेंगी आयोजन

देवीलाल बारना/हप्र
कुरुक्षेत्र, 16 अक्तूबर

धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में करीब 25 साल बाद फिर दो अलग-अलग दशहरा उत्सव आयोजित होंगे। वर्ष 2000 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अशोक अरोड़ा के प्रयासों से दोनों कमेटियों को एक मंच पर लाकर संयुक्त दशहरा आयोजन की परंपरा शुरू की गई थी। अब एक बार फिर दोनों कमेटियां अलग-अलग दशहरा उत्सव आयोजित करेंगी। इस वर्ष धर्मक्षेत्र दशहरा कमेटी के संरक्षक पूर्व मंत्री एवं विधायक अशोक अरोड़ा हैं, जबकि कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी के संरक्षक पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा हैं। कुरुक्षेत्र में दशहरा आयोजन का इतिहास 1950 के दशक से जुड़ा है। दशहरा कमेटी के पूर्व सदस्य पवन मिगलानी के अनुसार, शुरुआत में श्रीराम रामलीला ड्रामाटिक क्लब एवं दशहरा कमेटी रामलीला और दशहरा उत्सव आयोजित करती थी। बाद में सनातन धर्म सभा की ओर से भी अलग दशहरा उत्सव शुरू किया गया। शारदा ड्रामाटिक क्लब के कलाकार इस आयोजन में भाग लेते थे। दोनों आयोजनों के बीच कई बार तनाव की स्थिति भी बनी। यहां तक कि मोती चौक से किस कमेटी की यात्रा पहले निकलेगी, इसका फैसला भी प्रशासन को करना पड़ता था।

अशोक अरोड़ा ने कहा कि वर्ष 2000 में दोनों कमेटियों को एक करने का उद्देश्य आपसी सद्भाव बनाए रखना था। उनके अनुसार, पिछले करीब दो वर्षों से जातीय वैमनस्य बढ़ाकर भाईचारा कमजोर करने के प्रयास हो रहे हैं। इसलिए 36 बिरादरी को साथ लेकर अलग दशहरा मनाने का निर्णय लिया है।

वहीं, कुरुक्षेत्र दशहरा कमेटी के प्रधान अमित गुलाटी ने कहा कि धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। दशहरा एक जगह हो या दो जगह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

HDFC BANK
We understand your world

विशेष अभियान विभाग:
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पढ़े गए परिशिष्ट IV के अनुसार)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(2) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक **19.06.2026** को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें **मैसर्स ज्ञान चंद अरुण कुमार (ऋणकर्ता), सुमेर सिंह (मालिक/गारंटर) और श्रीमती इंद्रो देवी** को नोटिस में उल्लिखित **राशि 1,60,71,058 रुपये जो 15.02.2026** तक देय हैं, उसे भविष्य के ब्याज और प्रभार सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और उसके नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने **15 अक्तूबर, 2026** को नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर अकर्षित किया जाता है, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय का उल्लेख है। ऋण लेने वाले/गिरवी रखने वाले, विशेष रूप से, और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिस पर **15.02.2026 तक देय 1,60,71,058 रुपये (एक करोड़ 60 लाख 71 हजार 58 रुपये मात्र) की राशि,** भविष्य के ब्याज और उस पर लगने वाले शुल्कों सहित, लागू होगी।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति का विवरण	मोर्टगेजर
वाणिज्यिक संपत्ति-प्लॉट नंबर 29 नई अनाज मंडी पाई, कैथल, जिला कैथल, हरियाणा-136027 क्षेत्रफल-188.88 वर्ग. गज।	श्रीमती इंद्रो देवी

दिनांक-15 अक्तूबर, 2026
स्थान- कैथल
DI-17907
अधिकृत अधिकारी,
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड।

पानीपत के किसानों का सरसों की खेती की ओर बढ़ा रुझान

बिजेंद्र सिंह/हप्र
पानीपत, 16 अक्तूबर

पानीपत जिले के किसानों का परंपरागत गेहूं की खेती के बजाय सरसों की खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है। पिछले साल जिले में करीब 9500 एकड़ में सरसों की बिजाई हुई थी, जबकि इस बार इसका रकबा बढ़कर करीब 12500 एकड़ होने का अनुमान है। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी और गेहूं की तुलना में खाद, बीज व पानी की कम खपत इसके प्रमुख कारण हैं।

दूसरी संयुक्त ई-नीलामी बिक्री सूचना

आईबीबीआई (समापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के शैड्यूल I तथा विनियम 32 (सी) के साथ पढ़े जाने वाले इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 35(1) (एफ) तथा सिक्योरिटी इनट्रस्ट (इनफोर्समेंट) रूल्ज, 2002 के नियम 8 तथा 9 के साथ पढ़े जाने वाले सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(4) के अनुरूप

मेसर्स ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

CIN: U18101HR2008PLC037781. PAN: AABCO0357J.
रजिस्टर्ड ऑफिस : 80वां माइलस्टोन, जी.टी. रोड, जट्टीपुर, पानीपत-132103, हरियाणा

संयुक्त रूप से जारीकर्ता
समापक-मोहित चावला
एससीओ 26, लेवल III, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, ओल्ड-अंबाला रोड, ढकौली, जीरकपुर-140603
और
सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर : बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और रेयर एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराज्ड ऑफिसर के जरिए काम करते हुए, दूसरे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स द्वारा विधिवत् अधिकृत)

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत नियुक्त लिक्विडेटर द्वारा ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (''कॉर्पोरेट डेब्टर'') के एसेट्स की बिक्री के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (पर्सनल गारंटर/मॉर्टगेजर/मॉर्टगेजर के कानूनी वारिस) की एस्टेट की जमीन, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास पेरी पास के चार्ज के साथ मॉर्गेज है, को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बेचा जा रहा है, जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का लीड बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और RARE एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाले कंसोर्टियम बैंकों का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, SARFAESI एक्ट, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत। ऊपर बताए गए एसेट्स को '' यथा स्थिति यथा स्थान'', ''जो भी है'' तथा ''बिना रिकोर्स'' आधार पर एक कंपोजिट/इनसेपरेबल लॉट के रूप में बिक्री के लिए पेश किया जाना प्रस्तावित है

(ए) सुरक्षित लेनदारों के पास गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के मालिकाना हक की बिक्री : भूमि (114 कनाल 13 मरला), 80वें माइल स्टोन, जी.टी. रोड, गांव झट्टीपुर, तहसील-समालखा, पानीपत में स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम पर स्थित, सुरक्षित लेनदारों की ओर से अधिकृत अधिकारी द्वारा SARFAESI अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत संघ के तहत सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ बिक्री के लिए पेश की गई ; कार्पोरेट देनदार के ऋण बकाया राशि 240,17,65,663/61 (दो सौ चालीस करोड़ सत्रह लाख पैंसठ हजार छह सौ तिरसठ और इकसठ पैसे केवल) के अतिरिक्त 25.11.2019 से ब्याज और अन्य शुल्क (मैसर्स ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के गारंटर और कानूनी अधिकारी) और

(बी) लीजहोल्ड अधिकार और भवन : उक्त भूमि में कॉर्पोरेट देनदार के असमाप्त लीजहोल्ड अधिकार, उस पर निर्मित भवन/सुपरस्ट्रक्चर के साथ, जो परिसमापन संपदा का हिस्सा है, को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 35(1) (एफ) के तहत परिसमापक द्वारा बिक्री के लिए पेश किया जाता है, (आईडीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन 2016 के विनियमन 32 (सी) और अनुसूची के साथ पढ़ा जाने वाला) सुरक्षित लेनदारों ने संहिता की धारा 52 के तहत उक्त परिसंपत्तियों में अपने सुरक्षा हित को त्याग दिया है और आईबीसी संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार लेनदारों की समिति के सदस्य हैं। उपरोक्त हितों को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एकल समग्र ब्लॉक के रूप में संयुक्त रूप से पेश किया जा रहा है, जो विस्तृत बिक्री नोटिस और ई नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है।

कम्पोनेंट	आरक्षित मूल्य (INR)	धरोहर राशि (EMD)	वृद्धिशील बोली मूल्य
सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत बिक्री			
ब्लाक ए-सुरक्षित क्रेडिटर के पास मोर्टगेज्ड अचल परिसम्पत्ति का स्वामित्व अधिकारों की बिक्री स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम पर 80वां माइल स्टोन, जी.टी. रोड, गांव झट्टीपुर, तहसील-समालखा, पानीपत में मौजूद जमीन (114 कनाल 13 मरला) (यानी, नीचे दी गई लीज खत्म होने पर ही पूरा कब्जा वापस मिलेगा, खाली, तुरन्त कब्जे वाली फ्री होल्ड के तौर पर नहीं।)	रुपये 73.09 करोड़	आरक्षित मूल्य का 10%	रुपये 1.00 करोड़
IBC, 2016 के तहत बिक्री			
ब्लॉक-B-कॉर्पोरेट कर्जदार के पक्ष में फैक्ट्री की जमीन और उस पर बिल्डिंग के लीज होल्ड अधिकार। कॉर्पोरेट कर्जदार की जमीन (114 कनाल 13 मरला) (लीज डीड 15.10.2010 और 09.08.2011 : 99 सालों में से-83 साल बाकी) और बिल्डिंग (RCC/स्टील, 2010 में बनी) में अभी खत्म नहीं हुआ लीज होल्ड अधिकार-जो लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा है।	रुपये 44.55 करोड़		
कम्पोजिट ब्लॉक के लिए कुल आरक्षित मूल्य	**117.64 करोड़ रुपये**	**11.764 करोड़ रुपये**	**1.00 करोड़ रुपये**
ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के लिए कम्पोजिट आरक्षित मूल्य की ईएमडी	**11.764 करोड़ रुपये**		

लंबित मुकदमा - 1 : सुमित गुप्ता (दिवंगत कृष्ण कुमार गुप्ता के कानूनी वारिसों में से एक) द्वारा दायर अपील संख्या 294/2023, डीआरटी-II चंडीगढ़ के दिनांक 18.03.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए, एसए संख्या 59/2021 में डीआरटी, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है। डीआरटी-II चंडीगढ़ ने दिनांक 18.03.2023 के अपने आदेश द्वारा के.के. गुप्ता द्वारा दायर उक्त एसए मामले को योग्यताहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।

लंबित मुकदमा - 2 : माननीय राष्ट्रीय न्यायालय, चंडीगढ़ बेंच ने दिनांक 27.10.2025 के आदेश द्वारा आईए संख्या 1454/2023 में परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी, बशर्तें यह खुलासा किया जाए कि 2 कनाल (16 फीट 6 इंच चौड़ाई, 660 फीट लंबाई) भूमि का एक भाग ग्राम पंचायत को कथित दान से संबंधित एक लंबित विवाद का विषय है; यह भूखंड उक्त बड़ी भूमि का हिस्सा है। 17.07.2023 को स्टेटस को ऑर्डर, जैसा कि 27.10.2025 को बदला गया था, लागू रहेगा और उक्त पार्सल का ट्रासफर/डिलीवरी माननीय NCLT, चंडीगढ़ के अगले आदेशों के अधीन होगा।

लंबित मुकदमा - 3 : आईए संख्या 594/2026 लंबित है, जिसमें परिसमापक ने कथित अवैध कब्जेदार (महाबीर गौशाला के रूप में संदर्भित) के खिलाफ निर्देश मांगे हैं कि वह मुख्य जी.टी. रोड के सामने स्थित खुली भूमि (-12,000 वर्ग गज / लगभग 2.5 एकड़) पर अनधिकृत कब्जा हटा ले, जो झट्टीपुर गांव, तहसील समालखा, जिला पानीपत में कुल भूमि का हिस्सा है। माननीय NCLT के 24.09.2026 के ऑर्डर के अनुसार : ''इसलिए, न्याय, बराबरी और फेयर प्ले के हित में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लोकल पुलिस की मदद से प्रॉपर्टी की दीवार पर लगे पैम्फलेट को हटाने के लिए सही कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस एप्लीकेशन के फाइनल डिस्पोजल, आवेदक को तय पब्लिक ऑक्शन जारी रखने की इजाजत है और इसके लिए सही पुलिस की मदद लेने की भी इजाजत है।''

लंबित मुकदमा-4 : सिविल केस नंबर CS/372/2023 आशु राहुल ने महाबीर गौशाला बनाम स्व. के.के. गुप्ता के एल आर'ज़ और कंसोर्टियम बैंकों की ओर से सिविल जज (सीनियर डिवीजन), समालखा की कोर्ट में फाइल किया।

लंबित मुकदमा-5 : सिविल मुकदमा संख्या CS/462/2 (2 (062, सिविल जज, समालखा, पानीपत के समक्ष श्री सुमित गुप्ता द्वारा दायर, स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी, जिसमें भूमि का विभाजन और सुरक्षित लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।

लंबित मुकदमा-6 : सीएमए संख्या 98/2026, श्री सुमित गुप्ता द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, पानीपत के समक्ष, CS/462/2026 में समालखा न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.09.2026 के आदेश के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें संपत्तियों की नीलामी/बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है।

विवरण	विवरण
बिक्री सूचना के प्रकाशन की तिथि	17.10.2026
परिसंपत्तियों के निरीक्षण या उचित जांच की तिथि और समय	17.10.2026 से 18.11.2026 तक
इच्छुक बोलीदाता द्वारा निर्धारित तिथि पर या उससे पहले BaankNet पर वॉलेट के माध्यम से ईएमडी जमा करने की तिथि और समय	18.11.2026 (बुधवार) प्रातः 11:00
ई-नीलामी की तिथि और समय (प्रत्येक बार 5 मिनट के लिए असीमित विस्तार के साथ)	20.11.2026, पूर्व 11.00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

महत्वपूर्ण नोटः

1. यह बिक्री “जैसे है जहां है”, “जो भी है” आधार पर BAANKNET ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें भूमि, पट्टा अधिकार और भवन को एक साथ एक ही ब्लॉक के रूप में पेश किया जाएगा।
2. पात्रता : प्रत्येक बोलीदाता को SARFAESI अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत नियमों, IBC, 2016 और परिसमापन विनियमों, जिनमें परिसमापन परिसंपत्तियों के लिए धारा 29A भी शामिल है, के लागू प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज की KYC और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। पात्रता का निर्धारण तदनुसार किया जाएगा। संभावित बोलीदाता को यह वचन देना होगा कि वे संहिता की धारा 29A के अंतर्गत किसी भी प्रकार से अपात्र नहीं है और यदि किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाते हैं, तो जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
3. अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार, नोटिस में उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कुछ कानूनी विवाद चल रहा है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों सहित बेची जा रही है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोली लगाने वालों को बिक्री की शर्तों और नियमों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनसे बाध्य होंगे।
5. बोली जमा करने से पहले इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे संपत्ति का निरीक्षण करें और उससे संतुष्ट हो जाएं।
6. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) विक्रय मूल्य के एक भाग के रूप में रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
7. संयुक्त आरक्षित मूल्य की ईएमडी (भुगतान राशि) केवल बैंकनेट ई-वॉलेट के माध्यम से, ऊपर निर्दिष्ट अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। बोली आरोही क्रम में, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वृद्धिशील बोली राशि के गुणकों में लगाई जाएगी, और निर्धारित समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर लगाई गई किसी भी बोली को स्वचालित रूप से 5 मिनट का विस्तार दिया जाएगा।
8. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत बेची गई फ्रीहोल्ड भूमि के लिए भुगतान की शर्तेंः सफल बोलीदाता को ब्लॉक ए के विक्रय मूल्य का 25% (ईएमडी सहित) सुरक्षित लेनदारों के संघ द्वारा उच्चतम बोलीदाता घोषित किए जाने के 24 घंटों के भीतर जमा करना होगा (रूल 9(3))और शेष 75% की राशि पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज कारणों से इस अवधि को पुष्टि की तिथि से (नियम 9(4)) कुल 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अवधि पर ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुसार कोई ब्याज नहीं लगेगा, जैसा कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 में निर्दिष्ट है। यदि शेष विक्रय राशि उक्त अवधि के भीतर पूरी तरह से प्राप्त नहीं होती है, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों की बिक्री रद्द मानी जाएगी और जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाता द्वारा राशि जमा करने में चूक होने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी, और संपत्ति को पुनः नीलाम किया जाएगा, और चूक करने वाले बोलीदाता का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
* विवरण हेतु ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज का संदर्भ लें*
9. पट्टे के अधिकार और भवन के भुगतान की शर्तें, जो आईबीसी, 2016 के तहत परिसमापन संपत्ति के हिस्से के रूप में बेचे गए हैंः सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा आमंत्रित किए जाने पर, आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, विनियम, 2016 की अनुसूची 1 के अनुसार, ब्लॉक बी के लिए शेष विक्रय राशि का पूरा भुगतान मांग की तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर करना होगा। मांग के 30 (तीस) दिनों के बाद भुगतान की गई किसी भी राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। यदि उक्त 90 दिनों की अवधि के भीतर शेष विक्रय राशि का पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों की बिक्री रद्द मानी जाएगी, और लागू विनियमों के तहत इस अवधि का कोई विस्तार उपलब्ध नहीं होगा।
10. ई-नीलामी की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर, परिसमापक उचित जांच पूरी करेगा और ब्लॉक बी के लिए उच्चतम बोलीदाता (एच 1) की पात्रता का सत्यापन करेगा तथा आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची 1 के खंड 12ए से 12सी (विनियम 33 और 31ए के साथ पढ़ा जाए) के तहत लेनदारों की समिति के समक्ष नीलामी के परिणाम प्रस्तुत करेगा। अधिकृत अधिकारी बिक्री सूचना पर लागू सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करता है, और परिसमापक पुष्टि करता है कि बिक्री दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
11. इंटरनेट नेटवर्क की समस्या/बिजली गुल होने/अन्य किसी तकनीकी खराबी/विफलता आदि के लिए अधिकृत अधिकारी/बैंक या ई-नीलामी सेवा प्रदाता जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पर्याप्त बिजली बैकअप आदि से सुसज्जित हों।
12. क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क /पंजीकरण शुल्क / नीलामी मूल्य पर टीडीएस/अन्य शुल्क आदि और साथ ही सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक देय राशियां, कर, मूल्यांकन शुल्क आदि का वहन करेगा।
13. विक्रय प्रमाणपत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर ही जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
14. यह बिक्री ब्लॉक ए के लिए प्रतिभूतिकरणकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और ब्लॉक बी के लिए दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री की शर्तों और नियमों के बारे में अधिक जानकारी/पूछताछ के लिए, कृपया दिए गए संपर्क नंबरों पर संबंधित शाखा से संपर्क करें।
15. परिसमापक को कंपनी के साथ चर्चा करके बिना कोई कारण बताए उपरोक्त नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। तदनुसार, संयुक्त ब्लॉक की नीलामी रद्द मानी जाएगी, और इस रद्द करने के कारण किसी भी प्रतिभागी या बोलीदाता का परिसमापक या सुरक्षित लेनदारों के विरुद्ध कोई दावा, अधिकार या उपाय नहीं होगा।
16. विस्तृत ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज़ और पंजीकरण/केवाईसी प्रक्रिया के लिएः **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home और https://baanknet.com। पूछताछ के लिएः परिसमापक मोहित चावला, camohitchawla@gmail.com/liq.osilexports@gmail.com, 9888003303; 9813621782 बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी श्री राकेश कुमार, 9987048267; बैंकनेट सहायता support.baanknet@psballiance.com, +918291220220.**
17. किसी भी स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी के लिए **श्री मोहित चावला से 9888003303 पर संपर्क करें या liq.osilexports@gmail.com पर ईमेल करें या सुरक्षित वित्तीय क्रेडिटर की ओर से, श्री राकेश कुमार, अधिकृत अधिकारी से 9987048267** पर संपर्क करें।

हस्ता./-
श्री मोहित चावला,
ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
के मामले में परिसमापक
आईपी पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949
पता-एससीओ 26, लेवल III, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स
ओल्ड-अंबाला रोड, ढकोली, जीरकपुर-140603
पंजीकृत ईमेल आईडी : camohitchawla@gmail.com
पत्राचार ईमेल आईडी : liq.osilexports@gmail.com
संपर्क करें : 09888003303, 9813621782

हस्ता./-
श्री राकेश कुमार,
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया
पताः स्टार हाउस
एस.सी.ओ. 76-82, तीसरी मंजिल, सेक्टर-31-ए
चंडीगढ़-160030
पंजीकृत ईमेल आईडीः ARB.Chandigarh@bankofindia.bank.in
संपर्क करें : 9987048267

DI-17948

हरियाणा सरकार निविदा सूचना

क्रमांक	बोर्ड/ निगम/ अथारिटी का विवरण	कार्य/ निविदा सूचना का विवरण	खोलने की तिथि अंतिम तिथि (समय)	राशि/धरोहर राशि (अनु.) रु. में	बोर्ड/ निगम अथारिटी की वेबसाइट	नोडल अधिकारी/ संपर्क विवरण/ ई-मेल
1.	डीएचबीवीएन	वर्ष 2026-27 में निगम एनआईटी संख्या 01, एक्सियन ओपी एसएफडी 2026-27 द्वारा अनुमोदित दरों पर एक्सियन ओपी मंडल डीएचबीवीएन सफीदों के अधीन एसडीओ ओपी एस डिवीजन, डीएचबीवीएन सफीदों के कार्यालय के लिए महिंद्रा टाटा फोर्स या पीछे से खुली कोई अन्य जीप किराए पर उपलब्ध कराना।	23.10.2026 12.11.2026	4,26,000/- (ANNUAL)	www.dhbvn.org.in	01686262057 xenopsafidon@dhbvn.org.in
2.	डीएचबीवीएन	वर्ष 2026-27 में निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर एसयू सब डिवीजन डीएचबीवीएन सफीदों के कार्यालय के लिए महिंद्रा टाटा फोर्स या पीछे से खुली कोई अन्य जीप किराए पर उपलब्ध कराना।	23.10.2026 12.11.2026	4,26,000/- (ANNUAL)	www.dhbvn.org.in	01686262057 xenopsafidon@dhbvn.org.in
3.	डीएचबीवीएन	वर्ष 2026-27 में निगम एनआईटी 3 द्वारा अनुमोदित दरों पर एसडीओ ओपी सब डिवीजन डीएचबीवीएन पिल्लू खेड़ा के कार्यालय के लिए महिंद्रा टाटा फोर्स या पीछे से खुली कोई अन्य जीप किराए पर उपलब्ध कराना। यह जीप एक्सियन ओपी डिवीजन डीएचबीवीएन सफीदों के अंतर्गत आती है।	23.10.2026 12.11.2026	4,26,000/- (ANNUAL)	www.dhbvn.org.in	01686262057 xenopsafidon@dhbvn.org.in

PRDH/13/2027/100/50267/I/11/4 **अधिक विवरण हेतु कृपया पधारें - www.haryanaeprocurement.gov.in या www.etenders.hry.nic.in**

Formation of new dists, reorganisation of tehsils to depend on panel's report: CM

Says govt ready to release ₹20 crore to CUHP if it agrees to bear power expenses

TRIBUNE NEWS SERVICE

PHOTO: KAMAL JEET

CM Sukhvinder Singh Sukhu inaugurates the faecal sludge and septage management facility at Dharamsala.

DHARAMSALA, OCTOBER 16
Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu on Friday said that the formation of new districts and the reorganisation of tehsils, subdivisions and development blocks would depend on the recommendations of a commission constituted for the purpose.

Sukhu said that the state Cabinet had approved the proposal and a formal process had been initiated to examine where new districts could be created and where administrative boundaries needed to be redrawn.

He added that the commission included a retired High Court Judge, the Director of Land Records, a senior High Court advocate and a retired bureaucrat. The members would examine the legal and administrative aspects of the issue before making recommendations. He said, "The objective is to take governance closer to the last citizen. Whether new districts or tehsils should be created or development blocks be reorganised will depend on the commission's recommendations."

On to the Opposition's allegation that the government was using the issue for electoral gains, Sukhu said that elections were held every five years and the exercise was part of the government's broader agenda of 'vyavastha parivartan' (systemic change).

On the possibility of the census exercise affecting the reorganisation process, he said that the government was at present assessing the requirements. When notifications were required to be issued, necessary permission would be sought from the census authorities, if required, or the process would move forward after the census concludes.

Sukhu rejected criticism over the delay in the construction of a campus of the Central University of Himachal Pradesh (CUHP) at Dharamsala and said that the issue was being unnecessarily politicised. He added that the government had already cleared the forestland compensation cess and was prepared to release funds immediately upon receiving an undertaking from the university administration regarding recurring utility expenses.

Sukhu said that the state government was ready to release Rs 20 crore for the CUHP if the university agreed to bear electricity expenses and the Central Government takes responsibility for water supply cost.

Later, he laid the foundation stone of an indoor ice and roller skating rink at Sakoh to be constructed at a cost of Rs 33.78 crore. He also dedicated to the people of Dharamsala city a state-of-art faecal sludge and septage management facility constructed at a cost of Rs 9.82 crore.

IGMC faculty shift sparks resentment

SHIMLA, OCTOBER 16
The State Association of Medical and Dental College Teachers, IGMC, Shimla, has expressed concern and resentment over recent administrative orders, proposals and departmental realignments directing the transfer of faculty members, departments and clinical responsibilities from the Indira Gandhi Medical College (IGMC) and Hospital to the Atal Institute of Medical Super Specialties (AIMSS), Chamiyana.

The association alleged that orders had been issued to shift the Departments of Anaesthesia and Radiology to the super-speciality hospital. Several super-speciality departments have already been moved from the IGMC to the Chamiyana hospital.

It has urged the government to put on hold all proposed and pending transfers of faculty, units and departments from the IGMC to the AIMSS until an objective review is conducted. It has also sought a re-evaluation of recent redeployment and transfer orders to ensure compliance with established service rules and institutional requirements. The association has threatened to launch protests if its concerns are not addressed.

While reiterating that it was not opposed to strengthening and expanding the super-speciality hospital, the association said this should not come at the cost of dismantling the IGMC, the state's premier medical institution. "A new establishment must complement the existing healthcare network through independent capacity building, not by systematically dismantling the foundational institution that sustains it," it said. — TNS

Digital governance must make public services faster, says Sukhu

TRIBUNE NEWS SERVICE

Chief Minister Sukhvinder Sukhu addresses the National Conference on Administrative Reforms and e-Governance.

DHARAMSALA, OCTOBER 16
Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu on Friday said that digital governance must make public services simpler, faster and citizen-centric, particularly for people living in remote and under-served areas. He added that the success of e-governance lay not in technological complexity but in its ability to improve the lives of ordinary citizens.

The Chief Minister, while addressing a two-day National Conference on Administrative Reforms and e-Governance in Dharamsala, called for moving beyond traditional bureaucracy towards a transparent, accountable and responsive governance system. Senior administrators, policymakers and technology experts from across the country attended the conference.

He said that his government had prioritised systemic change to transform Himachal Pradesh into a prosperous and self-reliant state, ensuring that public resources were used to benefit ordinary people. Digital platforms were being used to improve service delivery and take government schemes to the grassroots level, he added.

Sukhu said that Himachal Pradesh had improved its national ranking in the education sector from 21st position in 2021 to fifth in 2025. The government had prioritised qualitative improvements from pre-primary to senior secondary education.

He said that healthcare was another priority, with robotic surgery facilities introduced in the five medical colleges of the state. The government was also replacing outdated medical equipment, increasing postgraduate seats and filling vacancies for doctors and paramedical staff to strengthen specialist healthcare services.

The Chief Minister said that the Single Window Citizen Portal enabled people to access government services from home or through Lok Mitra Kendras. The CM Helpline and grievance redress portals had strengthened accountability by ensuring that complaints from people of remote areas were addressed and not considered resolved until the complainants were satisfied.

He added that the Revenue Management System and revenue Lok Adalats had improved transparency and expedited the settlement of pending land-related disputes, including mutation, partition and demarcation cases.

RERA halts plot sale in illegal Palampur colonies

RAVINDER SOOD

PALAMPUR, OCTOBER 16
The Real Estate Regulatory Authority (RERA) has launched a crackdown on unauthorised real estate development in and around Palampur and issued notices to several colonisers for allegedly developing colonies without the requisite approval.

RERA has ordered a halt on the sale of plots and construction activities in colonies that have not obtained the mandatory approval. Revenue officials have also been directed not to register sale deeds for plots in such colonies without a no objection certificate (NOC) from RERA.

The action is expected to put unauthorised colonisers under pressure, as restrictions on property transactions can affect their ability to sell plots and carry out further development until the required clearances are obtained.

RERA Chairman RD Dhiman has appealed to people to exercise caution while investing in land and avoid purchasing plots in colonies that have not received the necessary RERA approval. He says that prospective buyers should verify the regulatory status of a colony and ensure that all mandatory permissions are in place before entering into a property deal. Buyers often invest their life savings in residential plots and the lack of proper approvals can expose them to financial risks and legal complications.

GOVERNMENT OF HARYANA **TENDER NOTICE**

SR. NO.	NAME OF BOARD/ CORP./ AUTH	NAME OF WORK/NOTICE/ TENDER	OPENING DATE CLOSING DATE (TIME)	AMOUNT/ EMD (APPROX.) in Rupees
1	MUNICIPAL COMMITTEE LADWA	CONST. OF STREET FROM PLOT OF RAJU TO SHIV CAR NEAR H/O KRISHNA S/O KALA (NEAR MITHAS SWEET HOUSE) IN WARD NO. 9 MUNICIPAL COMMITTEE LADWA. + 1 WORK	14.10.2026 21.10.2026	10,58,918/-

WEBSITE OF THE BOARD/CORP./AUTH: https://etenders.hry.nic.in

NODAL OFFICER/CONTACT DETAILS/E-MAIL: 7027691589
secy-ladwa@ulbharyana.gov.in

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT:
www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

PRDH/13/2027/40/50266/I/31/4

Explore FASTag option for upcoming Parwanoo barrier, HC tells state govt

AMBIKA SHARMA
TRIBUNE NEWS SERVICE

SOLAN, OCTOBER 16
To facilitate smoother, congestion-free vehicular movement, the High Court of Himachal Pradesh has directed the state government to examine the feasibility of integrating automated/FASTag system at an upcoming five-lane entry toll barrier being set up at Tipra near Parwanoo.

After facing months-long agitation and legal battle against entry tax collection in Himachal, the state government has finally initiated the process to shift the Parwanoo toll barrier from its current site to a new location at Tipra on the Chandigarh-Shimla National Highway. A five-lane entry tax barrier is slated to be set up over 3.365 hectares, as per the court's directions.

A budget of Rs 13 crore has been sanctioned for the Public Works Department (PWD) while Rs 12 crore has already been released, according to the state government's reply submitted before the court during the October 13 hearing.

The state government also informed the court that the PWD was awaiting clearance under the Forest Conservation Act, 1980, for diverting forestland for non-forestry purpose for setting up the tax barrier.

Additionally, the process to hire consultants for seeking entry and exit permissions from the National Highways Authority of India at the Rajmarg Parvesh Portal was also initiated on October 13.

The court stated that the necessary forest clearance and other approvals should be in place before the next date of hearing on December 8 so that the proposed five-lane toll facility could start functioning without unwarranted delay.

The government also informed the court that the toll barrier could not be shifted to Sanwara as the presence of a large number of roads would render a substantial number of vehicles outside its coverage, causing a considerable loss to the state exchequer.

HARERA
GURUGRAM

PUBLIC NOTICE

REGARDING EXTENSION AND AMENDMENT OF REGISTRATION OF THE RESIDENTIAL PLOTTED COLONY NAMELY
"CENTRAL PARK FLOWER VALLEY PHASE III"
HARERA RC NO. 37 OF 2022 SITUATED IN SECTOR 29, 30, 32 & 33, SOHNA, GURUGRAM BEING DEVELOPED BY M/S ST. PATRICKS REALTY PVT. LTD.

It is for the information of the general public and allottees of the project namely "Central Park Flower Valley Phase III", situated in Sector 29, 30, 32 & 33, Sohna, Gurugram that M/s St. Patricks Realty Pvt. Ltd. has submitted an application dated 09.10.2026 before the Authority seeking amendment and extension of registration of the project under Section 6 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (hereinafter referred to as the "Act").

The Department of Town and Country Planning, Haryana, granted Licences Nos. 54 of 2014 dated 20.06.2014, 28 of 2016 dated 23.12.2016, 07 of 2020 dated 29.01.2020, 104 of 2021 dated 10.12.2021 and 13 of 2024 dated 29.01.2024 to landowners in collaboration with the M/s St. Patricks Realty Pvt. Ltd., for the development of a residential plotted colony over an area measuring 201.2707 acres in Sectors 29, 30, 32 and 33, Sohna, Gurugram.

Accordingly, the promoter applied for registration of the project after obtaining the requisite approvals. The entire licensed area, measuring 201.2707 acres, stands registered with the Authority vide Registration Certificate Nos. 95 of 2017 dated 28.08.2017, 11 of 2020 dated 18.03.2020, 37 of 2022 dated 16.05.2022 and 129 of 2025 dated 30.12.2025.

The project "Central Park Flower Valley Phase III" was registered with the Authority vide Registration Certificate No. 37 of 2022 dated 16.05.2022, which is valid up to 09.12.2026.

The surrender of a part of the licensed area, measuring 4.11 acres and forming part of Licence Nos. 54 of 2014 and 104 of 2021, was considered vide order dated 23.04.2024. Consequently, Licence No. 54 of 2014 now covers an area of 105.3653 acres, whereas Licence No. 104 of 2021 covers an area of 43.688 acres. Subsequently, the promoter obtained an additional licence, bearing No. 13 of 2024 dated 29.01.2024, valid up to 28.01.2029, for an area measuring 4.8284 acres. The promoter also obtained approval from DTCP, Haryana, for the revised layout plan of the colony, covering a total area of 197.1610 acres.

Thereafter, the Director, Town and Country Planning Department, Haryana, approved the revised layout plan vide No. DTCP 9982 dated 30.01.2024 and the revised zoning plans vide Nos. 10607 and 10608, both dated 19.11.2024. Further, the part revised demarcation-cum-zoning plan was approved vide Drawing No. DTCP 12116 dated 29.04.2026.

The promoter company has further submitted an undertaking stating that the undetermined area in Central Park Flower Valley Phase III, which was earlier 6.682 acres, has been reduced to 0.654 acres following the revision of the layout plan. However, due to changes in the GAIL alignment and the development of the undetermined area, an area measuring 0.94 acres is affected, as indicated in the layout plan approval dated 30.01.2024.

Consequently, M/s St. Patricks Realty Pvt. Ltd. submitted an application seeking amendment of the project registration on account of the revisions in the layout plan. In addition, the promoter has submitted an application dated 09.10.2026 seeking extension of the registration of the residential plotted colony under Section 6 of the Act. As per information provided by the promoter the block- wise amendment is as follows:

S.no.	Block	Earlier approved	Changes
1.	Block A	57	61
2.	Block I	127	135
3.	Block J	17	17
4.	Block K	346	355
5.	Block L	76	80
		623 Plots (162 General, 346 EWS & 115 NPNL)	**648 Plots (200 General, 355 EWS & 93 NPNL)**

The promoter has further submitted an affidavit from the Managing Director of the promoter Company stating that the developer has not advertised, marketed, booked, sold or offered to sale, or invited persons to purchase in any manner any new plots with respect to Phase III.

The relevant application and related documents are available in the office of the Haryana Real Estate Regulatory Authority, Gurugram which can be seen by any concerned on any working day during office hours up to 30.10.2026 from 10:00 am to 4 pm. The objections if any, shall be filed in the Authority before 30.10.2026 till 4:00 pm and may appear before the Authority on 02.11.2026 at 11:00 am during the hearing.

Given under the approval of the Authority and its seal.

Secretary,
Haryana Real Estate Regulatory
Authority, Gurugram.

Dated: 17.10.2026

2nd JOINT E-AUCTION SALE NOTICE

Pursuant to Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002, read with Rules 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, and Section 35(1)(f) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Regulation 32(c) and Schedule I of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.

M/S OSIL EXPORTS LIMITED (Under Liquidation)

CIN: U18101HR2008PLC037781. PAN: AABCO0357J.
Regd. Office: 80th Milestone, G.T. Road, Jattipur, Panipat - 132103, Haryana.

Jointly Issued By:
Liquidator: Mohit Chawla
SCO 26, Level III, Shri Balaji Complex, Old-Ambala Road, Dhakauli, Zirakpur- 140603
and
Secured Financial Creditors: Bank of India, Punjab National Bank and RARE Asset Reconstruction Limited (acting through the Authorised Officer of Bank of India, duly authorised by other Secured Creditors)

Notice is hereby given for the sale of the assets of OSIL Exports Limited ("Corporate Debtor") by the Liquidator, appointed under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, jointly with the land belonging to the estate of Late Sh. Krishan Kumar Gupta (Personal Guarantors/Mortgagor/Legal heirs of the mortgagor), mortgaged with Secured Creditors with pari passu charge, which is being sold by Bank of India, **as the lead bank of Secured Creditors and Authorised Representative of the consortium banks comprising** Bank of India, Punjab National Bank and RARE Asset Reconstruction Limited, under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and the rules made thereunder. The aforesaid assets are proposed to be offered for sale as a composite/inseparable lot on an **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "NO RECOURSE BASIS"**

a) Sale of ownerships rights of immovable asset mortgaged with secured Creditors: Land (114 Kanal 13 Marla), situated at 80th Mile stone, G.T Road, Village Jhattipur, Tehsil-Samalkha, Panipat in the name of Late Shri Krishan Kumar Gupta, offered for sale by the Authorized Officer on behalf of the Secured Creditors under Consortium under **Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002 read with Rules 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002;** towards Loan outstanding dues of the Corporate Debtor amounting to ₹ 240,17,65,663/61 (Rupees Two Hundred Forty Crores Seventeen Lakh Sixty Five Thousand Six Hundred Sixty Three and Paisa Sixty One only), Plus interest w.e.f 25.11.2019 and other charges towards (**M/s OSIL Exports Limited along with personal Guarantors and legal Heirs of late Sh. Krishan Kumar Gupta**) and

(b) Leasehold Rights and Building: The unexpired leasehold rights of the Corporate Debtor in the said Land, together with the building/superstructure constructed thereon, forming part of the liquidation estate, are offered for sale by the Liquidator under Section 35(1)(f) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, read with Regulation 32(c) and Schedule I of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. The Secured Creditors have relinquished their security interest in the said assets under Section 52 of the Code and are members of the Committee of Creditors as per the provisions of IBC Code, 2016.

The aforesaid interests are being offered **jointly as a single composite Block through the e-auction process, subject to the terms and conditions set out** in the detailed Sale Notice and E-Auction Process Document.

Component	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (EMD)	Incremental Bid Value
Sale Under SARFAESI Act, 2002			
Block-A-Sale of ownerships rights of immovable asset mortgaged with secured Creditors Land (114 Kanal 13 Marla), situated at 80th Mile stone, G.T Road, Village Jhattipur, Tehsil-Samalkha, Panipat in the name of Late Shri Krishan Kumar Gupta, (i.e., resumption of full possession only upon expiry of the lease or its determination, not as vacant, immediately-possessable freehold).	**Rs. 73.09 Cr.**	**10% of reserve price**	**Rs. 1.00 Cr**
Sale Under IBC, 2016			
Block-B-Leasehold Rights of Factory Land in favor of the corporate debtor and building thereupon. Corporate Debtor's unexpired leasehold right in the Land (114 Kanal 13 Marla) (lease deeds dtd. 15.10.2010 & 09.08.2011; ~83 of 99 years remaining) and Building (RCC/Steel, constructed 2010) - forming part of the liquidation estate	**Rs. 44.55 Cr.**		
Total Reserve Price for Composite Block	**Rs. 117.64 Crs.**	**Rs. 11.764 Cr**	**Rs 1.00 Cr**
EMD of Composite Reserve Price for Block A & Block B		**Rs. 11.764 Cr**	

Litigation pending - 1): Appeal No. 294/2023 is pending before the DRAT, New Delhi, filed by Sumit Gupta (one of the legal heirs of the late Krishan Kumar Gupta), challenging the DRT-II Chandigarh order dated 18.03.2023 in SA No. 59/2021. DRT–II CHD, by order dated 18.03.2023, dismissed the said SA filed by K.K. Gupta as having no merit.

Litigation pending- 2: The Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench, vide order dated 27.10.2025 in IA No. 1454/2023, permitted continuation of the liquidation process subject to disclosure that 2 Kanal of land (16 ft. 6 in. × 660 ft.) is subject to a pending dispute concerning an alleged gift to the Gram Panchayat. The status quo order dated 17.07.2023, as modified on 27.10.2025, continues to operate, and transfer/delivery of the said parcel shall be subject to further orders of the Hon'ble NCLT, Chandigarh

Litigation pending- 3: IA No. 594 of 2026 is pending, wherein the Liquidator seeks directions against an alleged illegal occupant (referred to as Mahabir Gaushala) to vacate unauthorized occupation of open land (~12,000 sq. yds. / approx. 2.5 acres) facing the Main G.T. Road, forming part of the total land parcel at Village Jhattipur, Tehsil Samalkha, District Panipat. As per the order of Hon'ble NCLT dated 24.09.2026: "Therefore, in the interest of justice, equity and fair play, the local administration is directed to take appropriate steps to remove the pamphlet affixed on the wall of the property with the help of local police. Pending final disposal of the instant Application, the Applicant is permitted to continue the scheduled public Auction and is also permitted to take appropriate police assistance for the same."

Litigation pending- 4: Civil case no. CS/372/2023 filed by Ashu Rahul on behalf of Mahabir Gaushala vs LRs of Late K.K Gupta and consortium banks in the Court of Civil Judge (Senior Division), Samalkha.

Litigation pending- 5: Civil Suit No. CS/462/2026 before the Civil Judge, Samalkha, Panipat, filed by Sh. Sumit Gupta, legal heir of Late Sh. Krishan Kumar Gupta, seeking partition of the land & restraint on sale of the assets by the Secured Creditors & the Corporate Debtor.

Litigation pending - 6: CMA No. 98/2026 filed by Sh. Sumit Gupta before the District & Sessions Court, Panipat, against the order dated 09.09.2026 passed by the Samalkha Court in CS/462/2026, seeking restraint on the auction/sale of the assets.

Particulars	Details
Date of Publication of Sale of Notice	**17.10.2026**
Date and time of inspection or due diligence of assets	**17.10.2026 to 18.11.2026**
Date and time of EMD deposit on or before the date by the interested bidder on BaankNet through Wallet.	**On or before 18.11.2026 (Wednesay), 11:00 AM**
Date and time of E-Auction (with unlimited extension of 5 minutes each)	**20.11.2026 (Friday), 11:00 AM to 4:00 PM**

Important Note:

1. The sale shall be conducted online through the BAANKNET e-auction portal on an **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS"** and **"WHATEVER THERE IS" basis**, with the **Land, Leasehold rights and Building offered together as a single, composite block.**

2. Eligibility: Every bidder shall comply with the applicable provisions of the **SARFAESI Act, 2002 and Rules thereunder**, and the **IBC, 2016 and Liquidation Regulations**, including **Section 29A** for the liquidation assets, and satisfy the KYC and other conditions of the E-Auction Process Information Document. Eligibility shall be determined accordingly. The prospective bidder shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under Section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited.

3. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are some litigations on the property as mentioned in the notice. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the title of property/ies put on auction and claims / rights / dues / affecting the property, prior to submitting their bid. The E- auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any Commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues. No claim of whatsoever nature will be entertained after submission of the online bid regarding property/ies put for sale.

4. Bidders shall be deemed to have read & understood the terms & conditions of sale & be bound by them.

5. It shall be the responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves about the property before submission of the bid.

6. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration, and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded.

7. EMD of composite reserve price shall be deposited only through the Baanknet e-wallet, on or before the last date specified above. Bidding shall be ascending, online, electronic, in multiples of the incremental bid amount, with an automatic 5-minute extension on any bid placed within the last 5 minutes of the scheduled closing time.

8. Payment Terms for the mortgaged land, sold under the SARFAESI Act, 2002: The successful bidder shall deposit 25% of the sale price for Block A* (inclusive of EMD) immediately, i.e. on the same day or not later than the next working day of the sale (Rule 9(3)) and the balance 75% within 15 days of confirmation of sale of such mortgage land by secured creditor, or such extended period as may be agreed upon by written agreement between the purchaser and the secured creditor for a period not exceeding three months from the date of confirmation (Rule 9(4)), **without interest** as specified in the E-Auction Process Information Document, in accordance with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. If the balance sale consideration is not received in full within the said period, as applicable, the sale of both the Blocks, i.e., Block A & Block B, shall stand canceled and the amount deposited shall be forfeited. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited, and the property shall be put to re-auction, and the defaulting bidder shall have no claim/ right in respect of property/amount. *Refer E-Auction Process document for details*

9. Payment Terms of leasehold rights and building, sold as part of the Liquidation Estate under the IBC, 2016: The successful bidder shall, on being invited by the Liquidator, deposit the balance sale consideration for Block B in full within 90 (ninety) days of the date of such demand, in accordance with Schedule I to the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. Any amount for Block B, paid after 30 (thirty) days of such demand shall attract interest at 12% per annum. If the balance sale consideration for Block B is not received in full within the said period of 90 days, the sale of both Blocks, i.e., Block A & Block B, shall stand canceled, and no extension of this period is available under the applicable Regulations.

10. Within 3 days of the close of the E-Auction, the Liquidator shall complete due diligence and verify the eligibility of the highest bidder (H1) for Block B and place the auction results before the Committee of Creditors under **Clauses 12A to 12C of Schedule I** (read with Regulation 33 & 31A) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. **The Authorised Officer confirms compliance with) the relevant provisions of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, and the SARFAESI Act, 2002 as applicable to the sale notice, and the Liquidator confirms that the sale shall be conducted in accordance with the applicable provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.**

11. Neither the Authorised Officer/Bank nor e-Auction service provider will be held responsible for any Internet Network problem / Power failure / any other technical lapses / failure etc. In order to ward-off such contingent situation the interested bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate power back-up etc. for successfully participating in the e-Auction event.

12. The purchaser shall bear the applicable stamp duties / Registration fee/TDS on auction price/other charges, etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, assessment charges, etc. owing to anybody.

13. The Sale Certificate will be issued in the name of the purchaser(s) / applicant (s) only and will not be issued in any other name(s).

14. The sale shall be subject to rules/ conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, for Block A and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, for Block B. Further details/ enquiries if any, on the terms and conditions of sale can be obtained from the respective branch on the contact numbers given

15. The Liquidator reserves the right to cancel the aforesaid auction in discussions with CoC and bidder in such circumstances, and shall inform them. Accordingly, the auction for Composite block stands cancelled, and no participant or bidder shall have any claim, right, or recourse against the Liquidator or Secured Creditors arising from such cancellation

16. For the detailed E-Auction Process Information Document and registration/KYC procedure: **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home and https://baanknet.com. Queries: Liquidator - Mohit Chawla, camohitchawla@gmail.com / liq.osilexports@gmail.com, 9888003303/9813621782; Authorised Officer of Bank of India Sh. Rakesh Kumar 9987048267; Baanknet support - support.baanknet@psballiance.com, +91 8291220220.**

17. Any clarifications/ additional information by contacting **Sh. Mohit Chawla 9888003303 or email at liq.osilexports@gmail.com or Sh. Rakesh Kumar, Authorised officer on behalf of Secured Financial Creditors 9987048267.**

Sd/-
Mr. Mohit Chawla
Liquidator in the matter of
OSIL Exports Limited
IP Registration no: IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949
Address- SCO 26, Level III, Shri Balaji Complex,
Old-Ambala Road, Dhakauli, Zirakpur-140603
Registered Email id: camohitchawla@gmail.com
Correspondence Email Id: liq.osilexports@gmail.com
Contact: 09888003303/9813621782

Sd/-
Mr. Rakesh Kumar
Authorized Officer of
Bank of India
Address: STAR HOUSE,
S.C.O. 76-82, 3rd Floor, Sector-31-A,
Chandigarh-160030
Registered Email Id: ARB.Chandigarh@bankofindia.bank.in
Contact: 9987048267

Mahindra HOME FINANCE **महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

कॉर्पोरेट कार्यालय: अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पिरामल, अमिटि बिल्डिंग, यूनिट नं. 203, दूसरी मंजिल, बी विंग, सुंदर बंग, कुर्ला वेस्ट, मुंबई महाराष्ट्र 400070 भारत। CIN – U65922MH2007PLC169791

शाखा/पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 46-47, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान - 302021

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणियों को उक्त नोटिस प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि का भुगतान करने हेतु मांग नोटिस जारी किया गया था। उल्लेखित ऋणियों द्वारा राशि का भुगतान न करने के कारण, एतद्द्वारा निम्नलिखित ऋणियों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। ऋणियों को विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे यहां वर्णित संपत्ति (प्रतिभूत संपत्ति) के साथ कोई लेन-देन न करें। संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के हित के अधीन होगा, जिसके लिए यहां वर्णित राशि ब्याज सहित देय है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदार का नाम (शाखा का नाम)	प्रतिभूत संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग नोटिस तिथि और राशि
1.	श्रीमती संतोष देवी पत्नी बनवारी लाल बागली (ऋणी), श्री बनवारी लाल सैनी पुत्र रोहिताश सैनी (सह-ऋणी) ऋण खाता सं.: XSEMALW01009946	संपत्ति के सभी अंश व हिस्से जो पट्टा नं. 08, बुक नंबर 14, ग्राम पंचायत गरही, पंचायत समिति थानागाजी, अलवर, राजस्थान में स्थित जिसका क्षेत्रफल लगभग 122.22 वर्गगज है, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं:- पूर्व- सी सी रोड आम रास्ता ढाणी बगावाली, पश्चिम- रमेश सैनी का गुवाड़ा, उत्तर- 13 फीट ग्यारसा सैनी के गुवाड़ा के बाद, दक्षिण- रामजीलाल पुत्र हनुमान सैनी का घर चपेट।	25-जनवरी-2022 रु. 5,48,479/- (दिनांक 05.01.2022 तक) कब्जे की तिथि: 14-10-2026

स्थान: अलवर दिनांक: 14.10.2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
(महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

दूसरी सयुंक्त ई-नीलामी बिक्री सूचना

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(सी) और अनुसूची I के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4), सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 35(1)(एफ) के तहत

मेसर्स ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (परिसमापन के तहत)

CIN: U18101HR2008PLC037781 PAN: AABCO0357J
पंजीकृत कार्यालय : - 80वां मील स्टोन, जी.टी. रोड, जत्तीपुर, पानीपत, पानीपत- 132103, हरियाणा,

संयुक्त रूप से जारीकर्ताः
परिसमापकः मोहित चावला,
एस.ओ.सी.ओ. 26, लेवल 3, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, ओल्ड-अंबाला रोड, ढाकौली, जीरकपुर - 140603 और
सुरक्षित वित्तीय ऋणदाता: बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और आरएआरई एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए, अन्य सुरक्षित ऋणदाताओं द्वारा विधिवत अधिकृत)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा **ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड** ("कॉर्पोरेट देनदार") की संपत्ति की बिक्री के लिए नोटिस दिया जाता है, जो स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता (व्यक्तिगत गारंटर/बंधक/बंधक के कानूनी उत्तराधिकारी) की संपत्ति से संबंधित भूमि के साथ संयुक्त रूप से है, जो सुरक्षित लेनदारों के साथ पारि पासु शुल्क के साथ बंधक संपत्ति को सरफेसी अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत बैंक ऑफ इंडिया जो सुरक्षित लेनदारों का प्रमुख बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और आरएआरई एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड सहित कंसोर्टियम बैंकों का अधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा बेचा जा रहा है। उपर्युक्त संपत्तियों को "जैसा है, जहां है", "जैसा है वैसा ही" और "कोई सहारा नहीं" आधार पर एक समग्र/अविभाज्य लॉट के रूप में बिक्री के लिए प्रस्तावित किया गया है

क) सुरक्षित लेनदारों के साथ गिरवी रखी अचल संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों की बिक्री: भूमि (114 कनाल 13 मरला), जो 80वां मील पत्थर, जी.टी रोड, गांव झट्टीपुर, तहसील-समालखा, पानीपत में स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम पर स्थित है, जिसे अधिकृत अधिकारी द्वारा सुरक्षित लेनदार कंसोर्टियम की ओर से सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कॉर्पोरेट देनदार के बकाया ऋण की राशि रुपए 240,17,65,663/61 (दो सौ चालीस करोड़ सत्रह लाख पैंसठ हजार छह सौ तिरसठ रुपये और इकसठ पैसे मात्र) के लिए, साथ ही 25.11.2019 से प्रभावी ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए (मेसर्स ओसिल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, साथ ही स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के व्यक्तिगत गारंटर और कानूनी वारिस) और
(ख) पट्टाधिकार और भवन: उक्त भूमि में कॉर्पोरेट देनदार के अप्रयुक्त पट्टाधिकार अधिकार, उस पर निर्मित भवन/अधिरचना के साथ, परिसमापन संपदा का हिस्सा बनाते हैं और परिसमापक द्वारा आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची I और विनियमन 32(सी) के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 35(1)(एफ) के तहत बिक्री के लिए पेश किए गए हैं। सुरक्षित लेनदारों ने संहिता की धारा 52 के तहत उक्त परिसंपत्तियों में अपने सुरक्षा हित को त्याग दिया है और आईबीसी संहिता, 2016 के प्रावधानों के अनुसार लेनदारों की समिति के सदस्य हैं

उपरोक्त हित विस्तृत बिक्री सूचना और ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, इसे ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से **एक एकल समग्र ब्लॉक के रूप में संयुक्त रूप** से पेश किया गया है।

घटक	आरक्षित मूल्य (रुपए)	बयाना राशि (ईएमडी)	बोली वृद्धिशील मूल्य
सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत बिक्री			
ब्लॉक-ए- भूमि का मुक्त स्वामित्व अधिकार भूमि में मुक्तधारिता अधिकार (114 कनाल 13 मरला), जो 80वें मील पत्थर, जी.टी. रोड, ग्राम झट्टीपुर, तहसील-समाल्खा, पानीपत में स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के नाम पर स्थित है, जिसका मूल्यांकन प्रतिपूर्ति के आधार पर किया गया है (अर्थात, नीचे दिए गए पट्टे की समाप्ति पर ही पूर्ण कब्जे की वापसी, खाली, तत्काल कब्जे योग्य मुक्तधारिता के रूप में नहीं)	73.09 करोड़ रुपए	आरक्षित मूल्य का 10%	1.00 करोड़ रुपए
आईबीसी, 2016 के तहत बिक्री			
ब्लॉक-बी- कार्पोरेट देनदार के पक्ष में कारखाने की भूमि और उस पर बने भवन के पट्टे के अधिकार कार्पोरेट देनदार का भूमि (114 कनाल 13 मरला) में अनिर्दिष्ट पट्टा अधिकार (पट्टा विलेख दिनांक 15.10.2010 और 09.08.2011; 99 वर्षों में से लगभग 83 वर्ष शेष) और इमारत (आरसीसी/स्टील, निर्मित 2010) - परिसमापन संपत्ति का हिस्सा।	44.55 करोड़ रुपए		
समग्र ब्लॉक के लिए कुल आरक्षित मूल्य	117.64 करोड़ रुपए	11.764 करोड़ रुपए	1 करोड़ रुपए
ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के लिए समग्र आरक्षित मूल्य की ईएमडी		11.764 करोड़ रुपए	

लंबित मुकदमे- 1): अपील संख्या 294/2023, सुमित गुप्ता (दिवंगत कृष्ण कुमार गुप्ता के कानूनी वारिसों में से एक) द्वारा दायर की गई है, जो डीआरटी-2 चंडीगढ़ के दिनांक 18.03.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए एसए संख्या 59/2021 में लंबित है। डीआरटी-2 चंडीगढ़ ने अपने दिनांक 18.03.2023 के आदेश द्वारा के.के. गुप्ता द्वारा दायर उक्त एसए मामले को योग्यताहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।
लंबित मुकदमे- 2: माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच ने दिनांक 27.10.2025 के आदेश द्वारा आईए संख्या 1454/2023 के तहत परिसमापक को परिसमापन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई, बशर्ते यह खुलासा किया जाए कि 2 कनाल (16 फीट 6 इंच चौड़ाई, 660 फीट लंबाई) भूमि का एक हिस्सा ग्राम पंचायत को कथित दान से संबंधित एक लंबित विवाद का विषय है। 17.07.2023 दिनांक का यथास्थिति आदेश, 27.10.2025 को संशोधित किया गया, लागू होता है, और उक्त पार्सल का हस्तांतरण/वितरण माननीय एनसीएलटी, चंडीगढ़ के आगे के आदेशों के अधीन होगा।
लंबित मुकदमा- 3: आईए संख्या 594/2026 लंबित है, जिसमें परिसमापक ने कथित अवैध कब्जेदार (महाबीर गौशाला के रूप में संदर्भित) के खिलाफ मुख्य जी.टी. रोड के सामने स्थित खुली भूमि (12,000 वर्ग गज / लगभग 2.5 एकड़) पर अनाधिकृत कब्जे को खाली करने के निर्देश मांगे हैं, जो झट्टीपुर गांव, तहसील समालखा, जिला पानीपत में स्थित कुल भूमि भूखंड का हिस्सा है। माननीय एनसीएलटी के दिनांक 24.09.2026 के आदेश के अनुसारः "इसलिए, न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के हित में, स्थानीय प्रशासन को स्थानीय पुलिस की मदद से संपत्ति की दीवार पर चिपकाए गए पर्चे को हटाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देशित किया जाता है। तत्काल आवेदन के अंतिम निपटान की प्रतीक्षा में, आवेदक को निर्धारित सार्वजनिक नीलामी जारी रखने की अनुमति है और इसके लिए उचित पुलिस सहायता लेने की भी अनुमति है।
लंबित मुकदमे- 4: सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) समालखा की अदालत में महावीर गौशाला की ओर से आशु राहुल द्वारा दायर दीवानी मामला संख्या सीएस/372/2023 बनाम स्वर्गीय के.के. गुप्ता के कानूनी वारिस और कंसोर्टियम बैंक।
लंबित मुकदमे- 5: सिविल जज, समालखा, पानीपत के समक्ष सिविल मुकदमा संख्या सीएस/462/2026, श्री दिवंगत श्री कृष्ण कुमार गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी सुमित गुप्ता द्वारा दायर भूमि के विभाजन और सुरक्षित लेनदारों और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।
लंबित मुकदमे- 6: सीएमए सं. 98/2026 श्री सुमित गुप्ता द्वारा दायर जिला एवं सत्र न्यायालय, पानीपत के समक्ष जो समलखा न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2026 को सीएस/462/2026 में पारित आदेश के विरुद्ध, जिसमें संपत्ति की नीलामी/बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

विवरण	विवरण
नोटिस की बिक्री के प्रकाशन की तिथि	17.10.2026
निरीक्षण या परिसंपत्तियों की उचित जांच की तारीख और समय	17.10.2026 से 18.11.2026 तक
बैंकनेट के माध्यम से वॉलेट पर इच्छुक बोलीदाता द्वारा दिनांक तक या दिनांक से पहले ईएमडी जमा करने की तिथि और समय।	18.11.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे तक या उससे पहले
ई-नीलामी की तारीख और समय (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	20.11.2026 (शुक्रवार) पूर्वा 11:00 बजे से अप 04:00 बजे तक

महत्वपूर्ण नोटः
1.यह बिक्री बैंकनेट ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से "जैसी है, जहां है", "जैसी है, जो कुछ है" व "जो कुछ मौजूद है" आधार पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें भूमि, पट्टा अधिकार और भवन को एक साथ एक ही ब्लॉक के रूप में बेचा जाएगा।
2. पात्रताः प्रत्येक बोली लगाने वाले को सरफेसी अधिनियम, 2002 और उसके तहत नियमों के लागू प्रावधानों का पालन करना होगा, और आईबीसी, 2016 और परिसमापन संपत्ति के लिए धारा 29ए सहित परिसमापन विनियमों का पालन करना होगा, और केवाईसी और ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज की अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। पात्रता तदनुसार निर्धारित की जाएगी। संभावित बोली लगाने वाले को एक वचन देना होगा कि वे लागू धारा 29ए के तहत किसी भी अयोग्यता से पीड़ित नहीं हैं और यदि किसी भी स्तर पर अयोग्य पाए जाते हैं, तो जमा की गई ईमानदारी की राशि जब्त कर ली जाएगी।
3. अधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, नोटिस में उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों पर कुछ मुकदमेबाजी चल रही है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देयताओं के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है और न ही इसे ऐसा माना जाएगा। संपत्ति बैंक को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेची जा रही है। अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार किसी भी तृतीय-पक्ष के दावों/अधिकारों/देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. बोलीदाताओं को बिक्री के नियम और शर्तें पढ़ और समझ ली गई मानी जाएगी और वे इनसे बाध्य होंगे।
5. बोली जमा करने से पहले संपत्ति का निरीक्षण करना और उससे संतुष्ट होना इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।
6. सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) बिक्री मूल्य के एक हिस्से के रूप में रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
7. संयुक्त आरक्षित मूल्य की ईएमडी केवल बैंकनेट ई-वॉलेट के माध्यम से, ऊपर निर्दिष्ट अंतिम तिथि को या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। बोली आरोही क्रम में, ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, वृद्धिशील बोली राशि के गुणकों में लगाई जाएगी, और निर्धारित समापन समय के अंतिम 5 मिनट के भीतर लगाई गई किसी भी बोली को स्वचालित रूप से 5 मिनट का विस्तार दिया जाएगा।
8. **बंधक भूमि के लिए भुगतान शर्तें, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत बेची गई:** सफल बोली लगाने वाला ब्लॉक ए* (ईएमडी सहित) के लिए बिक्री मूल्य का 25% तुरंत जमा करेगा, अर्थात उसी दिन या बिक्री के अगले कार्य दिवस से अधिक नहीं (नियम 9(3)) और शेष 75% सुरक्षित लेनदार द्वारा ऐसी बंधक भूमि की बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर, या ऐसी विस्तारित अवधि जो खरीदार और सुरक्षित लेनदार के बीच लिखित समझौते द्वारा पुष्टि की तारीख से तीन महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए सहमति दी जा सकती है (नियम 9(4)), ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में निर्दिष्ट ब्याज के बिना, सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के अनुसार। यदि शेष बिक्री प्रतिफल उक्त अवधि के भीतर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, जैसा लागू होता है, तो दोनों ब्लॉकों, अर्थात ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की बिक्री रद्द हो जाएगी और जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। सफल बोली लगाने वाले द्वारा राशि के जमा में डिफॉल्ट का अर्थ पहले से जमा की गई पूरी धनराशि का जब्त होना होगा, और संपत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा, और चूक करने वाले बोली लगाने वाले का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। *विवरण के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें।
9. **पट्टे के अधिकारों और भवन के भुगतान की शर्तें, आईबीसी, 2016 के तहत परिसमापन संपदा के हिस्से के रूप में बेची गई:** सफल बोली लगाने वाला, परिसमापक द्वारा आमंत्रित किए जाने पर, आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची के अनुसार, ऐसी मांग की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ब्लॉक बी के लिए शेष बिक्री प्रतिफल का पूर्ण जमा करेगा। ब्लॉक बी के लिए कोई भी राशि, ऐसी मांग के 30 (तीस) दिनों के बाद भुगतान की जाएगी, 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज आकर्षित करेगी। यदि ब्लॉक बी के लिए शेष बिक्री प्रतिफल उक्त 90 दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो दोनों ब्लॉकों, अर्थात ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की बिक्री रद्द हो जाएगी, और लागू विनियमों के तहत इस अवधि का कोई विस्तार उपलब्ध नहीं है।
10. ई-नीलामी के समापन के 3 दिनों के भीतर, परिसमापक उचित परिश्रम पूरा करेगा और ब्लॉक बी के लिए उच्चतम बोली लगाने वाले (एच1) की पात्रता को सत्यापित करेगा और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची 1 (विनियम 33 और 31ए के साथ पठित) के खंड 12ए से 12सी के तहत लेनदारों की समिति के समक्ष नीलामी के परिणाम रखेगा। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री नोटिस पर लागू सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 और सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करता है, और परिसमापक पुष्टि करता है कि बिक्री दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के लागू प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।
11. अधिकृत अधिकारी/बैंक और ई-नीलामी सेवा प्रदाता किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या/बिजली की विफलता/किसी अन्य तकनीकी खराबी/विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पर्याप्त बिजली बैकअप आदि से तकनीकी रूप से सुसज्जित हों।
12. क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/नीलामी मूल्य पर टीडीएस/अन्य शुल्क आदि तथा सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक देय राशि, कर, मूल्यांकन शुल्क आदि का वहन करेगा।
13. विक्रय प्रमाण पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
14. बिक्री खंड ए के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, और खंड बी के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री की शर्तों के बारे में अधिक जानकारी/पूछताछ, संबंधित शाखा से दिए गए संपर्क नंबरों पर प्राप्त की जा सकती है
15. परिसमापक को सीओसी से चर्चा करके बिना कोई कारण बताए उपरोक्त नीलामी को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। तदनुसार, समग्र ब्लॉक की नीलामी रद्द मानी जाएगी, और किसी भी प्रतिभागी या बोलीदाता को इस रद्द करने से परिसमापक या सुरक्षित लेनदारों के विरुद्ध कोई दावा, अधिकार या उपाय प्राप्त नहीं होगा।
16. विस्तृत ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज और पंजीकरण/केवाईसी प्रक्रिया के लिए: https://ibbi.baanknet.com/eauctionibbi/home और https://baanknet.com पूछताछ के लिए: लिक्विडेटर - मोहित चावला, camohitchawla@gmail.com/liq.osilexports@gmail.com, 9888003303/9813621782; बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी श्री राकेश कुमार, 9987048267; बैंकनेट सहायताः support.baanknet@psballiance.com, +91 8291220220।
17. **किसी भी स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी के लिए श्री मोहित चावला से 9888003303 पर संपर्क करें या liq.osilexports@gmail.com पर ईमेल करें या प्रतिभूतित वित्तीय लेनदार श्री राकेश कुमार, अधिकृत अधिकारी 9987048267 से सपर्क करें।**

हस्ताक्षरित/-
श्री मोहित चावला
ओएसआईएल एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
के मामले में परिसमापक
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949
पता- एस.सी.ओ. 26, लेवल 3, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स,
ओल्ड-अंबाला रोड, ढाकौली, जीरकपुर-140603
पंजीकृत ईमेल आईडीः camohitchawla@gmail.com
पंजीकृत ईमेल आईडीः liq.osilexports@gmail.com
संपर्कः 09888003303/9813621782

हस्ताक्षरित/-
श्री राकेश कुमार,
अधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया
पताः स्टार हाउस,
एस.सी.ओ. 76-82, तीसरी मंजिल, सेक्टर-31-ए
चंडीगढ़-160030
पत्राचार ईमेल आईडीः ARB.Chandigarh@bankofindia.bank.in
संपर्कः 9987048267

ऋण वसूली न्यायाधिकरण -III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पटेल चौक, पार्लियामेंट स्ट्रीट, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आरसी/9/2024 तिथि: 22.09.2026

ऋण की वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 53 के तहत बिक्री घोषणा के निपटान के लिए नोटिस

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
मेसर्स केटीसी फूड्स प्रा. लि.

प्रति,
सीडी#1:- श्री सचिन सिंगला, मकान नंबर 48, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल हरियाणा।
सीडी#2:- श्री सुशील कुमार, मकान नंबर 48, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल हरियाणा।
सीडी#3:-श्रीमती मधु बाला, मकान नंबर 48, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल हरियाणा।
सीडी#4:- श्री अंकित सिंगला, मकान नंबर 48. अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल हरियाणा।
सीडी#5:- श्री राधे श्याम गर्ग, मकान नंबर 09, वार्ड नंबर 16, पुरानी धर्मशाला के पास, नरवाना, जिला जींद हरियाणा।
सीडी#6:- श्री पवन कुमार गर्ग, मकान नंबर डीपी 13, वार्ड नंबर 16, नरवाना, जिला जींद हरियाणा।
सीडी#7:- सुशील कुमार, मकान नंबर 48, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल हरियाणा।
सीडी#8:- मून स्टार एग्रो, करनाल कैथल रोड निसिंग, हरियाणा।
सीडी#9:- मेसर्स वाचूड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, 1555, एसपी मुखर्जी मार्ग नगर, नोवेल्टी सिनेमा, दिल्ली।
सीडी#10:- सुश्री कृतिका सिंगला, मकान नंबर 48, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल, हरियाणा।
सीडी#11:- श्री राजिंदर कुमार, मकान नंबर 628, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल, हरियाणा।
सीडी#12:- श्री मनोज कुमार, मकान नंबर 628, अर्बन एस्टेट, सेक्टर 8, करनाल, हरियाणा।

जबकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली द्वारा तैयार किए गए टीए नंबर 519/2022 में आरसी नंबर 9/2024 के निष्पादन में, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित अचल संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

आपको सूचित किया जाता है कि विक्रय की घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए 04.11.2026 की तिथि निर्धारित की गई है। आपसे अनुरोध है कि उक्त संपत्तियों या उसके किसी भाग से संबंधित किसी भी भार, प्रभार, दावे या देनदारियों की जानकारी अधोहस्ताक्षरी को दें।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति में 3 मरला और 4 सरसाई भूमि शामिल है, जो 16 कनाल 0 मरला (16के-0एम) के कुल क्षेत्रफल में से 7/640वां अविभाजित हिस्सा है, जो तहसील निसिंग, जिला करनाल में स्थित है।

मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक 22 सितंबर, 2026 को दिया गया।

(निशितोष कुमार पांडे,
वसूली अधिकारी-II,
डीआरटी-III, दिल्ली)

---

easy home finance **ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालयः 302, तीसरी मंजिल, सवॉय चैंबर्स, दत्तात्रेय रोड और वी. पी. रोड (एक्सटेंशन), सांताक्रूज वेस्ट, मुंबई – 400054
CIN: U74999MH2017PLC297819 | वेबसाइटः www.easyhfc.com |
ईमेलः contact@easyhomefinance.in टोल फ्रीः 1800 22 3279 | फोनः +91 22 3550 3442 टेलीः +91 22 3521 0487

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकृत डाक पावती सहित/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नही हुई/जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशि 60 दिनों के अन्दर जमा नही करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों/जमानतदारो के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना/ई-नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। निम्नानुसार विवरणः-

क्र. सं.	शाखा/ ऋण सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम और एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख बकाया राशि	सिक्योर्ड आस्तियों का विवरण
1	मेरठ HEML001445	1) संदीप कुमार (मुख्य आवेदक) 2) उषा (सह-आवेदक) एनपीए 04.09.206	मांग सूचना की तिथिः 17.09.2026 बकाया राशि रु. 511844/-	संपत्ति का पताः खसरा नं. 598 पर संपत्ति गांव- श्यामपुर जट्ट परगनांद तहसील जंड जिला-हापुड़ यूपी विक्रय पत्र के अनुसारः पूर्वः राजपाल का खेत, पश्चिमः डॉ. भरत का मकान, उत्तरः 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः राजपाल का खेत, साइट के अनुसारः पूर्वः राजपाल का खेत, पश्चिमः डॉ. भरत का मकान, उत्तरः 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः राजपाल का खेत

उक्त वर्णित ऋणियों / जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सूचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सूचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

तिथिः 17.10.2026, स्थानः हापुड़, यू.पी. हस्ता/- **प्राधिकृत अधिकारी, ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड**

कब्जा सूचना

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, एआरसीआईएल-2025-008-ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के न्यासी के रूप में कार्यरत के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं), गारंटरों और बंधकधारकों से राशि चुकाने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है: उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओ) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को "जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर" नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार और गारंटर का नाम एवं लैन	मांग सूचना का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि और प्रकार
1	उधारकर्ताः नफीसा खातून, अजीज अहमद, नबी अहमद एवं रिजवान अहमद खान (लैन-LAP100000946) आर्सिल-ट्रस्ट-2025सी-006	रुपये 343389.48 (केवल तीन लाख तैंतालीस हजार तीन सौ नवासी रुपये और अड़तालीस पैसे) दिनांक 02-07-2025 तक, उक्त राशि पर दिनांक 03-07-2025 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांकः 07-07-2025	13.10.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणःसमस्त संपत्ति का भाग या अंश जोकि क्षेत्रफल 862.000 वर्ग फुट खसरा संख्या-406/24 मिन, जुमला बरौरा हुसैनाबाद, लवाई कन्हैया माधवपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व - मजार शहीद मर्द दादा मियाँ, पश्चिम - प्लॉट संख्या 1 बी, उत्तर - गुड्डू का प्लॉट, दक्षिण - 7 फुट चौड़ा रास्ता जिसे इसके पश्चात् अचल संपत्ति कहा जाएगा।			
2	उधारकर्ताः हीना बाबलू हाशमी, बाबलू हाशमी एवं मोहम्मद शेर अली (लैन- L1CP000005004241) आर्सिल-ट्रस्ट-2025सी-006	रुपये 2018855.32 (केवल बीस लाख अठारह हजार आठ सौ पचपन रुपये और बत्तीस पैसे) दिनांक 09-05-2025 तक, उक्त राशि पर दिनांक 10-05-2025 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांकः 09-05-2025	12.10.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणः समस्त संपत्ति का भाग या अंश जोकि क्षेत्रफल 1040 वर्ग फुट प्लॉट पर निर्मित आवासीय मकान तथा प्लॉट संख्या 12 बी, खसरा संख्या 350 मिनजुमला का भाग, ग्राम-मलहपुर, वार्ड-हैदरगंज, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व - प्लॉट संख्या 12ए, पश्चिम - प्लॉट संख्या 12सी, उत्तर - 15 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण - अन्य की आराजी जिसे इसके पश्चात् अचल संपत्ति कहा जाएगा। संपत्ति की स्वामिनी हीना बाबलू हाशमी हैं।			
3	उधारकर्ताः वंदना यादव, आदेश कुमार एवं राकेश कुमार शुक्ला (लैन- L1CP000005005167) आर्सिल-ट्रस्ट-2025सी-006	रुपये 1062238.61 (केवल दस लाख बासठ हजार दो सौ अड़तीस रुपये और इकसठ पैसे) दिनांक 09-05-2025 तक, उक्त राशि पर दिनांक 10-05-2025 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांकः 09-05-2025	12.10.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणःसमस्त संपत्ति का भाग या अंश जोकि क्षेत्रफल 1060 वर्ग फुट प्लॉट संख्या 6 एवं 7, आराजी संख्या 78, ग्राम भूहर, परगना एवं तहसील एवं जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व - आशा तिवारी का प्लॉट, पश्चिम - बृजलाल का मकान, उत्तर - 18 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण - शुक्लाजी का मकान, जिसे इसके पश्चात् अचल संपत्ति कहा जाएगा। संपत्ति के स्वामी आदेश कुमार हैं।			
4	उधारकर्ताः प्रीति श्रीवास्तव एवं नवीन कुमार श्रीवास्तव (लैन-HF0044H21100305) आर्सिल-ट्रस्ट-2025सी-011	रुपये 3696106.12 (केवल छत्तीस लाख छियानवे हजार एक सौ छह रुपये और बारह पैसे) दिनांक 20-03-2026 तक, उक्त राशि पर दिनांक 21-03-2026 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांकः 20-डंत-2026	14.10.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणः संपत्ति/आराजी संख्या-47/1 का समस्त भाग एवं अंश जोकि मौजा चकराना तिवारी, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला प्रयागराज (इलाहाबाद) में स्थित जिसकी उपर्युक्त अचल संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः राजन त्रिपाठी का प्लॉट, पश्चिमः 15 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः राधा पांडेय का प्लॉट जिसे इसके पश्चात् अचल संपत्ति कहा जाएगा।			
5	उधारकर्ताः साजिद हमीद एवं रक्षी परवीन (लैन-HF0044H21100240) आर्सिल-ट्रस्ट-2025सी-009	रुपये 1935694.16 (केवल उन्नीस लाख पैंतीस हजार छह सौ चौरानवे रुपये) दिनांक 21-03-2026 तक, उक्त राशि पर दिनांक 22-03-2026 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांकः 23-03-2026	14.10.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणः आराजी संख्या 19 के भाग का समस्त अंश जिसका क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर मौजा पनवार, परगना अरैल, तहसील करछना, प्रयागराज (इलाहाबाद), उत्तर प्रदेश-211008 में स्थित उपर्युक्त अचल संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्वः आराजी का शेष भाग, पश्चिमः 12 फुट चौड़ी सड़क, उत्तरः आराजी का शेष भाग, दक्षिणः अन्य की भूमि, जिसे इसके पश्चात् अचल संपत्ति कहा जाएगा। संपत्ति की स्वामिनी रक्षी परवीन हैं।			
6	उधारकर्ताः राम कृपा यादव एवं राजेश्वरी देवी (लैनः HL0045/HKNH00000175) आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 046-ए	रु. 38,28,671.18 (केवल अड़तीस लाख अट्ठाईस हजार छह सौ इकहत्तर रुपये और अठारह पैसे), उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित। नोटिस दिनांकः 15-10-2018	14.10.2026 (सांकेतिक कब्जा)
संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान संख्या ई-340, ईडब्ल्यूएस, बर्रा-4, जनता नगर, सिंह पीसीओ फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के निकट, कानपुर, पिनकोड-208027, उत्तर प्रदेश सीमाएँ: उत्तर - मकान मुबइया हाजा की दीवार, उसके आगे 5 मीटर की सरकारी सड़क, दक्षिण - मकान मुबइया हाजा की दीवार, उसके आगे मकान संख्या 364, पूर्व - मकान मुबइया हाजा की दीवार, उसके आगे मकान संख्या 339, पश्चिम - मकान मुबइया हाजा की दीवार, उसके आगे मकान संख्या 341, जिसे इसके पश्चात् अचल संपत्ति कहा जाएगा।			

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा।

उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 17.10.2026

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
तालिका में वर्णित ट्रस्ट के ट्रस्टी

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
Arcil Premier ARC
CIN: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in;
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम)
मुंबई-400028. फोन : +91 2266581300
शाखा कार्यालयः प्रथम तल, प्लॉट #सी 48, इजना टॉवर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश
फोनः 0522-4241603

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, आर्किल आर्किल- ट्रस्ट-2026 - 015 ("आर्किल") के न्यासी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम) के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित, एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता, गारंटरों और बंधककर्ताओं को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया। उधारकर्ता/गारंटर(गण))/बंधककर्ता(गण) द्वारा उक्त राशियों का पुनर्भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्वारा उधारकर्ता/गारंटर(गण)/बंधककर्ता(गण) विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का कब्जा नीचे उल्लिखित तिथि को "जैसी है जहां है और जो कुछ भी है के आधार पर" ले लिया है।

उधारकर्ता और गारंटर के नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
श्रीमती. संध्या वर्मा मेसर्स ए.के मार्बल्स श्री. के के गुप्ता (प्रॉस्पेक्ट नं 867706)	06-01.2026, रु. 2057586.36/-रुपये बीस लाख सत्तावन हजार पाँच सौ छियासी रुपये और छत्तीस पैसे मात्र	उस समस्त हिस्से और भूखंड काः जिसका फ्लैट नं.एफ-1 पहली मंजिल पर,आवासीय भवन में जिसे लोकप्रिय रूप से सिल्वर ओक अपार्टमेंटाक के नाम से जाना जाता है, खसरा नं.296 मिन पर प्लॉट नं.6 - 7 पर निर्मित, रविंद्र गार्डन, शेखापुर, वार्ड-अलीगंज, तहसील - जिला- लखनऊ में स्थित। 226021 क्षेत्रफल माप (मे वर्ग. फुट.): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल माप संपत्ति क्षेत्रः 830	14.10.2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/अदत्तित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के लिए देय होगा, साथ ही उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 17.10.2026

हस्ताक्षर/- अधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएनः U65999MH2002PLC134884 वेबसाईटः www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028 दूरभाषः +91 2266581300.

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्री गौरव शर्मा लक्ष्मी ट्रेडर्स यूनिक होम सॉल्यूशन श्रीमती मनप्रीत शर्मा **(प्रॉस्पेक्ट नं. 979426, 974533)**	प्लॉट नं. पीबी-07, ब्लॉक पीबी, अधिमापन 155. 372 वर्ग मीटर, पार्कलैंड्स के रूप में ज्ञात, सेक्टर-77, फरीदाबाद, हरियाणा, 121001 पर स्थित। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल-माप, संपत्ति क्षेत्रफल : 1674	नं. 974533 के लिए रु. 28,62,217.00/- (रुपये अट्ठाइस लाख बासठ हजार दो सौ सत्रह मात्र) तथा नं. 979426 के लिए रु. 1,31,750.00/- (रुपये एक लाख इकतीस हजार सात सौ पचास मात्र)	09/04/2026	14/10/2026
श्रीमती मंदीप नाकाई सुश्री संदीप नाकाई मैसर्स स्पोर्ट मेडिमार्क श्री संदीप सिंह नाकाई **(प्रॉस्पेक्ट नं. IL11111582, IL10971520)**	फ्लैट नं. 1047, तीसरी मंजिल, पॉकेट बी एंड सी (डीडीए एसएफएस श्रेणी ।।), सेक्टर ए, किशन गढ़, वसंत कुंज, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, 110070 पर स्थित संपूर्ण भूखंड और अंश। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल-माप, संपत्ति का क्षेत्रफल : 1240.00	नं. IL10971520 के लिए रु. 2,69,40,461.94/- (रुपये दो करोड़ उन्हत्तर लाख चालीस हजार चार सौ इकसठ रुपये और चौरानवे पैसे मात्र) तथा ।।11111582 के लिए रु. 1,70,57,576.14/- (रुपये एक करोड़ सत्तर लाख सत्तावन हजार पाँच सौ छिहत्तर और चौदह पैसे मात्र)	06/08/2026	14/10/2026

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय :** डी-11/151, द्वितीय तल, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 पर अथवा **कार्पोरेट कार्यालय :** आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 17-10-2026 हस्ता/- **प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

YES BANK **यस बैंक लिमिटेड**

शाखा कार्यालय : नॉर्दर्न रीजनल कॉरपोरेट ऑफिस, लेवल 4, मैक्स टावर्स, सेक्टर 16बी, नोएडा-201301
पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई - 400055

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे उल्लिखित ऋणधारक (ऋणधारकों) / सह-ऋणधारक (सह-ऋणधारकों) / गारंटर (गारंटरों) / बंधककर्ता (बंधककर्ताओं), जिन्होंने बैंक से प्राप्त की गई सुविधाओं के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम किया है तथा जिनके सुविधा खातों को निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचना जारी की गई थी, किंतु वे वितरित हुए बिना वापस आ गए हैं तथा इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	कस्टमर आईडी / खाता संख्या	ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, बंधककर्ताओं के नाम	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया	एनपीए तिथि सूचना तिथि
1.	खाता संख्या 0127[illegible]327 ड्रॉपलाइन ओवरड्राफ्ट (डीओडी) सुविधा	1. अमित अरोड़ा पुत्र सूरज प्रकाश अरोड़ा, पता : फ्लैट नंबर 1103, टॉवर-16, ऑरेंज काउंटी, अहिंसा खंड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014 ("ऋणधारक"), 2. नम्रता अरोड़ा पत्नी अमित अरोड़ा, पता : फ्लैट नंबर 1103, टॉवर-16, ऑरेंज काउंटी, अहिंसा खंड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014 ("सह-ऋणधारक एवं बंधककर्ता")	रु. 50,21,590.67/- (रुपये पचास लाख इक्कीस हजार पाँच सौ नब्बे और सड़सठ पैसे मात्र) दिनांक 17.09.2026 के अनुसार	30-मई-2026 09-अक्टूबर-2026

प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण : आवासीय मकान संख्या बी-5 609, कॉर्पोरेशन संख्या बी-5 609 वाली संपत्ति का भाग, क्षेत्रफल 45.75 वर्ग गज, जिसमें भूतल पर एक दुकान और एक हॉल रूम, प्रथम तल पर एक कमरा, रसोईघर तथा बाथरूम, द्वितीय तल पर एक कमरा, रसोईघर तथा बाथरूम, तृतीय तल पर एक कमरा, रसोईघर तथा बाथरूम शामिल है, जो वेट गंज, लाल मस्जिद के पास, तहसील तथा जिला लुधियाना में स्थित है। सीमाएँ :- पूर्व : सतपाल का घर 22 फीट 3 इंच तथा 1 फीट 4 इंच तथा 21 फीट 9 इंच तथा 3 फीट 6 इंच तथा 13 फीट 3 इंच। पश्चिम : जगदीश लाल तथा प्रचारक स्कूल 13 फीट तथा 12 फीट तथा 32 फीट 3 इंच तथा 6 फीट तथा 14 फीट 9 इंच। उत्तर : गली 10 फीट 6 इंच। दक्षिण : नत्था सिंह 25 फीट 6 इंच। स्वामिनी : नम्रता अरोड़ा पत्नी अमित अरोड़ा।

उपर्युक्त ऋणधारक (ऋणधारकों) / सह-ऋणधारक (सह-ऋणधारकों) / गारंटर (गारंटरों) / बंधककर्ता (बंधककर्ताओं) (जहाँ भी लागू हो) को एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसके विफल होने पर सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के अंतर्गत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी खर्चों, प्रभारों तथा व्ययों के साथ देय राशि को सार्वजनिक नीलामी / बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है, तब बिक्री संपन्न नहीं की जाएगी तथा प्रतिभूत परिसंपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस प्रतिभूत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

तिथि : 17-10-2026, स्थान : दिल्ली तथा एनसीआर **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते यस बैंक लिमिटेड**

कब्जा सूचना

जबकि, आईआईएफएल-एचएफएल ने, प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण वित्तीय आस्तियों तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के प्रावधानों के तहत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के अंतर्गत उधारकता/सह-उधारकर्ता, गारंटरों, बंधककर्ता को बकाया राशि का भुगतान करने हेतु एक मांग नोटिस जारी किया, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

और जबकि तत्पश्चात, आईआईएफएल-एचएफएल ने दिनांक 30-11-25 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से, आईआईएफएल-एचएफएल बैंक द्वारा उधारकता/गारंटर(ओं) को प्रदत्त सुविधाओं से उत्पन्न तथा देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, शीर्षक, हित और लाभ, तथा अंतर्निहित अचल संपत्ति सहित, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को, जो आर्सिल आर्सिल एंड ट्रस्ट 2026-015 / ("आर्सिल") के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है, सुरक्षा प्राप्तियों के धारकों के लाभ हेतु हस्तांतरित कर दिए हैं। अतः उक्त असाइनमेंट के परिप्रेक्ष्य में, आर्सिल अब आईआईएफएल-एचएफएल के स्थान पर प्रतिस्थापित हो गया है और तबपस को उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के विरुद्ध सभी और किसी भी कार्यवाही को संस्थित/जारी रखने तथा वित्तीय दस्तावेजों के अंतर्गत अधिकारों और लाभों को प्रवर्तित करने का अधिकार होगा, जिसम उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के लिए निष्पादित एवं सृजित गारंटी और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन भी शामिल है। चूंकि उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) उक्त राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहे हैं, अतः इसके द्वारा उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) विशेष रूप से तथा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, जो आर्सिल का प्राधिकृत अधिकारी है, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के साथ पठित नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का कब्जा "जैसा है जहाँ है एवं जैसा भी है" आधार पर, नीचे उल्लिखित तिथि को ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता(ओ)/ सह-उधारकर्ता(ओ) के नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री सैयद जमीन अब्बास श्रीमती तसनीम जेहरा **(प्रॉस्पेक्ट नं 764846)**	संपूर्ण भाग एवं पार्सलः फ्लैट नं.-टी2-12ए1, टावर-टी2, मंजिल- 12ए, केवीडी विंडपार्क प्लॉट नं. डीवी -जीएच-09बी, सेक्टर-टेकजोन-IV, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, UP, 201308. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः क्षेत्रफल-मापित संपत्ति क्षेत्रफलः 1505	रु. 3427687/- (रुपये चौंतीस लाख सत्ताईस हजार छह सौ सतासी रुपये मात्र)	11-03-2025	14-10-2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि फीनिक्स उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद फीनिक्स की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/अदत्तित नहीं करेगा और अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन फीनिक्स द्वारा उपर्युक्त राशि के लिए देय होगा, साथ ही उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे।

उधारकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 17.10..2026

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में क्षमता में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड। सीआईएन संख्या - U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028। **टेलः** +91 2266581300।

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत आर्सिल आर्सिल - ट्रस्ट-2026-015 ("आर्सिल") के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (जिसे "उक्त नियमावली" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना जारी की थी, जिसमें ऋणधारक, गारंटरों तथा बंधककर्ताओं से उस राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :- ऋणधारक / गारंटर / बंधककर्ता उक्त राशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारक / गारंटर / बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप से यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि को "जहाँ है जैसा है तथा जो कुछ भी है आधार पर" उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उसे/उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणधारक तथा गारंटीदाताओं का नाम	मांग सूचना की तिथि तथा धनराशि	संपत्ति का विवरण	कब्जा तिथि
श्री रजनीश कुमार श्रीमती राज बाला आरके ट्रेडर्स (प्रोस्पेक्ट नं IL10707662)	05-01-2026 रु. 27,57,939.69/- (रुपये सत्ताईस लाख सत्तावन हजार नौ सौ उनतालीस तथा उनहत्तर पैसे मात्र)	निम्न संपत्ति के समस्त वे भाग तथा अंश, जो : मकान भूखंड सं.-32, खसरा सं. 40मिन, राधा कुंज कॉलोनी, गांव मलियाना, तहसील मेरठ, उत्तर प्रदेश 250002 के रूप में है, जिसका क्षेत्राधिमापन (वर्ग फुट में) : संपत्ति प्रकार : भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल : 702.00, 1007.00	14-10-2026
श्री अभीष्ट नारायण सिंह भदौरिया श्रीमती शिवांगी **(प्रोस्पेक्ट नं. 837532)**	02-01-2026 रु. 8,58,569.84/- (रुपये आठ लाख अट्ठावन हजार पांच सौ उनहत्तर तथा चौरासी पैसे मात्र)	निम्न संपत्ति के समस्त वे भाग तथा अंश, जो : यूनिट नं. ट-02, भूतल गृहम् कॉलोनी मेरठ, गृहम् कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत 250001, क्षेत्राधिमापन (वर्ग फुट में) : संपत्ति प्रकार : कारपेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल : 344.44	14-10-2026

ऋणधारक / गारंटर / बंधककर्ता को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है तथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) अंतर्गत, ऋणधारक / गारंटर / बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात् आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा तरीके से अचल संपत्ति का हस्तांतरण या लेन-देन/अंतरण नहीं करेगा, तथा अचल संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन ऊपर उल्लिखित राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य के ब्याज तथा आनुषंगिक व्यय, लागत, प्रभारों आदि के साथ आर्सिल के प्रभाराधीन होगा। उपर्युक्त अचल संपत्ति को मोचित (रिडीम) करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में ऋणधारकों / गारंटरों / बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : दिल्ली
तिथि : 17-10-2026

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, सीआईएन नं.: U65999MH2002PLC134884, **वेबसाइट :** www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028, **दूरभाष :** +91 2266581300

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक माँग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराशियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्री निहाल अहमद, श्रीमती मरियम (प्रोस्पेक्ट नं. IL10147990)	वह सभी टुकड़ा और हिस्सा निर्मित प्रथम तल, बिना छत/टेरेस अधिकारों के, पिछला हिस्सा + बायां हाथ, प्राईवेट नं. 1207, भूखंड संख्या 3/1 तथा 3/2 पर निर्मित, खसरा संख्या 241/1, 241/1 से बाहर, नवादा गाँव के क्षेत्र में स्थित, जो नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनी, मोहन गार्डन गली नंबर 10, ब्लॉक एफ, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित है। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल : 540.00, 480.00	रु. 3030670.00/- (रुपये तीस लाख तीस हजार छह सौ सत्तर मात्र)	13.07.2026	14.10.2026
श्री अजय वर्मा, श्रीमती मधु, निक टॉम (प्रोस्पेक्ट नं. IL10167688)	वह सभी टुकड़ा और हिस्सा ऊपरी भूतल, बिना छत के अधिकारों के, भूखंड संख्या सी-31 से बाहर, खसरा संख्या 372 से बाहर, बिंदपुर गाँव के क्षेत्र में स्थित, संजय एन्क्लेव के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल : 450.00, 382.00	रु. 1928858.00/- (रुपये उन्नीस लाख अट्ठाइस हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र)	13.07.2026	14.10.2026
श्री सुरेन्द्र नाथ यादव, श्रीमती राजमुनि देवी (प्रोस्पेक्ट नं. IL11050552)	वह सभी टुकड़ा और हिस्सा संपत्ति संख्या 1 तथा भूखंड संख्या 339, तीसरा तल, पिछला हिस्सा बायां हाथ सामान्य छत के अधिकारों के साथ, खसरा संख्या 417 तथा 418, नवादा माजरा हस्तसाल गाँव, मोहन गार्डन के रूप में जानी जाने वाली कॉलोनी, ब्लॉक एल एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, 110059 क्षेत्र माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : निर्मित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल, संपत्ति क्षेत्रफल : 540.00, 439.00	रु. 2995025.00/- (रुपये उनतीस लाख पचानवे हजार पच्चीस मात्र)	18.06.2026	14.10.2026

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : भूखंड संख्या 30/30ई, ऊपरी भूतल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली पर अथवा कार्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 17-10-2026 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

SHARE DEPARTMENT, BOARD & CO-ORDINATION DIVISION
PLOT No. 4, DWARKA SECTOR-10, NEW DELHI-110075
Email Id: hosd@pnb.bank.in

SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SECURITIES

Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30th, 2026, all shareholders are hereby informed that the special window to facilitate transfer and dematerialization ("demat") of physical securities which were sold / purchased prior to April 1, 2019 has been opened for a period of one year from **February 05, 2026 till February 04, 2027.**

The special window shall also be available for such transfer requests which were submitted earlier and which were rejected / returned / not attended due to deficiency in the documents / process / otherwise.

Investors re-lodging the transfer requests must have an active/ KYC compliant demat account and must provide its Client Master List ('CML'), along with the transfer documents and share certificate(s). Due process shall be followed for such transfer-cum-demat requests.

The concerned investors may submit their request with necessary documents latest by February 04, 2027, with the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) of the Bank. The details of the RTA are as under:

KFin Technologies Limited
Unit: Punjab National Bank, Selenium Tower B, Plot 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032
Email: einward.ris@kfintech.com, **Toll Free:** 1800 309 4001
Website: www.kfintech.com

The securities that are to be re-lodged for transfer will be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by the RTA.

Transfer requests submitted after February 04, 2027 shall not be accepted by the Bank/ RTA.

For Punjab National Bank
Sd/-
(Bikramjit Shom)
Company Secretary

Date:16.10.2026
Place: New Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Indian Overseas Bank

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
Regional Office-Kanpur
Ph: 0512-2212055,56, Email: 4163gad@iob.bank.in

Notice for the Empanelment of Architectural Consultants, Contractors-Vendors

IOB invites applications for empanelment of Architectural Consultants, Contractors/vVendors for various works in the bank's offices/branches in Kanpur nagar, Agra, Unnao, Mainpuri, Fatehpur, Rae bareily, Etah, Banda, Mahoba, Kanpur Dehat, Auraiya, Lalitpur, Kannuaj, Hamirpur, Jalaun, Jhansi, Etawah, Farukkhabad and Firozabad districts. Interested parties may submit the offers in sealed covers to Indian Overseas Bank, Regional Office Kanpur, Plot No. 89,90,99,100, 1st Floor Amra Ujala Limited, Govt. Industrial Estate, Fazalganj Kanpur-208012 with necessary enclosure on or before 26.10.2026 @ 16.00 hours. For details log on to Bank's website www.iob.bank.in.

The Last date for submission of the e-Tenders is 26.10.2026 by 04.00 PM.

Place: Kanpur Sd/-
Date :16.10.2026 **Chief Manager**

STYLAM INDUSTRIES LIMITED

CIN: L20211CH1991PLC011732
REGD. OFFICE: SCO 14 SECTOR 7 C MADHYA MARG CHANDIGARH -160019
Email: cs@stylam.com, Web: www.stylam.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported lost/ misplaced and the registered Holders thereof claimants thereto have requested to the Company for issuance of Duplicate Share Certificate(s) in lieu of lost share certificates(s):

Sr. No.	Folio No.	Name of Shareholder	S/C Nos.	Distinctive No.		No. of Shares
				From	To	
1	0000782	JASBIR SINGH AUDHKHASI	119	120201	121200	1000

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid Share Certificate(s) should lodge the claim in writing with us at the Company's address within 15 days from the publication hereof. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said Share Certificate(s) and shall proceed to issue the Duplicate Share Certificate(s) pursuance to Rule 4(3) of the Companies (Issue of Share Certificate) Rule 1960.

For Stylam Industries Limited
Sd/-
(Company Secretary)

Place: Chandigarh
Date: 16.10.2026

Encore Asset Reconstruction Company Private Limited (Encore ARC)

5TH FLOOR, PLOT NO. 137, SECTOR 44, GURUGRAM – 122 002, HARYANA

E-AUCTION SALE NOTICE

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Asset under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules).

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to Aditya Birla Capital Limited (ABCL) to secure the outstanding dues in the loan account since assigned to the Encore Asset Reconstruction Company Private Limited, acting in its capacity as the trustee of EARC -Bank-032-Trust ("Secured Creditor"), the physical possession of which has been taken over by the Authorised Officer (AO) of the Secured Creditor, will be sold on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", and "WHATEVER THERE IS" basis on 06.11.2026** for recovery of Rs. 1,24,30,494/- (Rupees One Crore Twenty Four Lakhs Thirty Thousand Four Hundred Ninety Four Only) as on 15.10.2026 and further interest at contractual rate till recovery and other costs, charges etc. after adjustment of recovery/realization, if any, due to the Secured creditor from borrower M/s. Abubaqar Polymers (Borrower), Mr. Mohd. Furkan (Co-Applicant /Mortgagor) & Mrs. Farha Naaz (Co-Applicant)

The description of the property, Reserve Price (RP) for the secured asset & the Earnest Money Deposit (EMD) is be as under:

Description of the Immovable Secured Asset	Reserve Price (Rs.) EMD (Rs.)	Encumbrances best known to us
"Basement No. 1, Ground Floor, Plot No. 47, Block-5, Eros Garden Colony, Surajkund Road, Faridabad, Haryana-121009, Area Measuring 139.50 Sq. Mtrs. (166 Sq. Yards) (Owned by Mr. Mohd. Furkan)	**84,00,000/-** **8,40,000/-**	1. Fedbank Financial Services Ltd. is claiming charge on the Property, but Encore ARC has prior charge on the property. 2. Third Party Mr.Rubal Gupta is claiming interest in the Property, basis a post mortgage sale deed purpotedly executed by him and Mr. Rajesh in his favour in May 2023.

In case the e-auction date is declared public holiday then the date will be automatically extended to very next working day.

For detailed terms & conditions please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e., http://www.encorearc.com/

For any clarification/information, interested parties may contact the Authorised Officer of the Secured Creditor on mobile no. 9873181249/8384075292/0124 4527200 or email at sachin.kumar@encorearc.com, getintouch@encorearc.com

Date: 16.10.2026
Place: Gurugram

Sd/- Sachin Kumar (Authorised Officer)
Encore Asset Reconstruction Company Pvt. Ltd.
Acting in its capacity as the trustee of EARC -Bank-032-Trust

---

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

CENTRALISED PROCUREMENT & PARTNERSHIP DIVISION
HO: 5, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, Phone: 011-23724596

Date: 16.10.2026

TENDER NOTICE

Punjab National Bank invites online bids (only technical bids) through Bank's e-tender portal from eligible bidders for **RFP for Empanelment of CERT-In empanelled pool of Information System Auditors for 3 years.** Interested bidders may visit website **https://etender.pnb.bank.in/login** or from Bank's website **www.pnb.bank.in** for details.

Tender No: 4960 (Punjab National Bank Bank's e-tender portal)

Sl.	RFP Reference	Original Date & Timings
1.	Date of Pre-Bid Meeting	**27/10/2026 at 11:00 hrs**
2.	Last date and time for receipt of pre-bid queries from bidders for Clarifications in format	**30/10/2026 upto 17:00 hrs**
3.	Last date and time for Online Bid Submission Technical Bid] (or Hash submission)	**06/11/2026 up to 16:00 hrs**
4.	Last date and time for Bid Re-Encryption	**From 06/11/2026 17:00 hrs. to 07/11/2026 14:00 hrs.**
5.	Last date and Time for submission of technical supporting document (Hard Copy)	**From 06/11/2026 17:00 hrs. to 07/11/2026 14:00 hrs.**
6.	Date and Time of Technical Bid Opening	**08/11/2026 at 16:00hrs**

Chief Manager

Himadri

Himadri Speciality Chemical Ltd

Registered Office: 23A Netaji Subhas Road, 8th Floor, Suite No. 15, Kolkata - 700 001
Corporate Identity Number: L27106WB1987PLC042756
Phone: (033)2230-9953, Fax: (033)2230-9051
Email: info@himadri.com, Website: www.himadri.com

(Rs. in Crores)

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter and Six Months Ended 30 September 2026

Sr. No.	Particulars	Three months ended 30.09.2026	Previous Three months ended 30.06.2026	Corresponding Three months ended 30.09.2025 in the previous year	Year to date figures for the previous period ended 30.09.2026	Year to date figures for the previous period ended 30.09.2025	Previous year ended 31.03.2026
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	**(Unaudited)**	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income	**1,587.00**	1,332.71	1,108.70	**2,919.71**	2,236.72	4,581.41
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	**317.87**	294.07	247.14	**611.94**	491.24	991.36
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	**317.87**	294.07	247.14	**611.94**	491.24	991.36
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	**239.77**	223.42	186.85	**463.19**	369.42	749.70
5.	Total Comprehensive Income for the period/year {comprising Net Profit for the period/ year (after tax) and other comprehensive income for the period/ year (after tax)}	**239.81**	226.60	185.95	**466.41**	370.08	750.86
6.	Paid-up Equity Share Capital	**50.46**	50.45	49.42	**50.46**	49.42	50.45
7.	Other Equity				-		4,572.30
8.	Earnings Per Equity Share (before and after extraordinary items) (of Re. 1 each) (refer note 2)						
	Basic (Rs.)	**4.75**	4.43	3.78	**9.18**	7.48	15.05
	Diluted (Rs.)	**4.75**	4.43	3.76	**9.18**	7.43	14.98

NOTES:-

1) The above unaudited standalone financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 16 October 2026. A Limited Review of these standalone financial results for the quarter and six months ended 30 September 2026 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) Earnings per share is not annualised for the quarter ended 30 September 2026, 30 June 2026, 30 September 2025, six months ended 30 September 2026 and 30 September 2025.
3) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.
4) For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the stock exchanges and can be accessed on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.

(Rs. in Crores)

Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Six Months Ended 30 September 2026

Sr. No.	Particulars	Three months ended 30.09.2026	Previous Three months ended 30.06.2026	Corresponding Three months ended 30.09.2025 in the previous year	Year to date figures for the previous period ended 30.09.2026	Year to date figures for the previous period ended 30.09.2025	Previous year ended 31.03.2026
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	**(Unaudited)**	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total income	**1,733.22**	1,488.19	1,106.96	**3,221.41**	2,251.93	4,831.99
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	**307.34**	300.51	236.54	**607.85**	477.76	1,000.90
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	**307.34**	300.51	236.54	**607.85**	477.76	1,000.90
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	**231.32**	228.43	176.14	**459.75**	355.50	755.07
5.	Total Comprehensive Income for the period/year {comprising Net Profit for the period/ year (after tax) and other comprehensive income for the period/ year (after tax)}	**232.20**	234.01	178.94	**466.21**	360.03	763.81
6.	Paid-up Equity Share Capital	**50.46**	50.45	49.42	**50.46**	49.42	50.45
7.	Other Equity				-		4,656.23
8.	Earnings Per Equity Share (before and after extraordinary items) (of Re. 1 each) (refer note 2)						
	Basic (Rs.)	**4.60**	4.55	3.58	**9.15**	7.26	15.08
	Diluted (Rs.)	**4.60**	4.55	3.55	**9.15**	7.20	15.02

NOTES:-

1) The above unaudited consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 16 October 2026. A Limited Review of these consolidated financial results for the quarter and six months ended 30 September 2026 has been carried out by the Statutory Auditors, as required under Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) Earnings per share is not annualised for the quarter ended 30 September 2026, 30 June 2026, 30 September 2025, six months ended 30 September 2026 and 30 September 2025.
3) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Consolidated Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.
4) For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the stock exchanges and can be accessed on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.

On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anurag Choudhary
Chairman
DIN: 00173934

Place : Kolkata
Dated : 16 October 2026

2nd JOINT E-AUCTION SALE NOTICE

Pursuant to Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002, read with Rules 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, and Section 35(1)(f) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Regulation 32(c) and Schedule I of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.

M/S OSIL EXPORTS LIMITED (Under Liquidation)

CIN: U18101HR2008PLC037781. PAN: AABCO0357J.
Regd. Office: 80th Milestone, G.T. Road, Jattipur, Panipat - 132103, Haryana.

Jointly Issued By:
Liquidator: Mohit Chawla
SCO 26, Level III, Shri Balaji Complex, Old-Ambala Road, Dhakauli, Zirakpur- 140603
and
Secured Financial Creditors: Bank of India, Punjab National Bank and RARE Asset Reconstruction Limited (acting through the Authorised Officer of Bank of India, duly authorised by other Secured Creditors)

Notice is hereby given for the sale of the assets of OSIL Exports Limited ("Corporate Debtor") by the Liquidator, appointed under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, jointly with the land belonging to the estate of Late Sh. Krishan Kumar Gupta (Personal Guarantors/Mortgagor/Legal heirs of the mortgagor), mortgaged with Secured Creditors with pari passu charge, which is being sold by Bank of India, **as the lead bank of Secured Creditors and Authorised Representative of the consortium banks comprising** Bank of India, Punjab National Bank and RARE Asset Reconstruction Limited, under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and the rules made thereunder. The aforesaid assets are proposed to be offered for sale as a composite/inseparable lot on an **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "NO RECOURSE BASIS"**

a) Sale of ownerships rights of immovable asset mortgaged with secured Creditors: Land (114 Kanal 13 Marla), situated at 80th Mile stone, G.T Road, Village Jhattipur, Tehsil-Samalkha, Panipat in the name of Late Shri Krishan Kumar Gupta, offered for sale by the Authorized Officer on behalf of the Secured Creditors under Consortium under **Section 13(4) of the SARFAESI Act, 2002 read with Rules 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002;** towards Loan outstanding dues of the Corporate Debtor amounting to ₹ 240,17,65,663/61 (Rupees Two Hundred Forty Crores Seventeen Lakh Sixty Five Thousand Six Hundred Sixty Three and Paisa Sixty One only), Plus interest w.e.f 25.11.2019 and other charges towards (**M/s OSIL Exports Limited along with personal Guarantors and legal Heirs of late Sh. Krishan Kumar Gupta**) and

(b) Leasehold Rights and Building: The unexpired leasehold rights of the Corporate Debtor in the said Land, together with the building/superstructure constructed thereon, forming part of the liquidation estate, are offered for sale by the Liquidator under Section 35(1)(f) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, read with Regulation 32(c) and Schedule I of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. The Secured Creditors have relinquished their security interest in the said assets under Section 52 of the Code and are members of the Committee of Creditors as per the provisions of IBC Code, 2016.

The aforesaid interests are being offered **jointly as a single composite Block through the e-auction process, subject to the terms and conditions set out** in the detailed Sale Notice and E-Auction Process Document.

Component	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (EMD)	Incremental Bid Value
Sale Under SARFAESI Act, 2002			
Block-A-Sale of ownerships rights of immovable asset mortgaged with secured Creditors Land (114 Kanal 13 Marla), situated at 80th Mile stone, G.T Road, Village Jhattipur, Tehsil-Samalkha, Panipat in the name of Late Shri Krishan Kumar Gupta, (i.e., resumption of full possession only upon expiry of the lease or its determination, not as vacant, immediately-possessable freehold).	**Rs. 73.09 Cr.**	10% of reserve price	Rs. 1.00 Cr
Sale Under IBC, 2016			
Block-B-Leasehold Rights of Factory Land in favor of the corporate debtor and building thereupon. Corporate Debtor's unexpired leasehold right in the Land (114 Kanal 13 Marla) (lease deeds dtd. 15.10.2010 & 09.08.2011; ~83 of 99 years remaining) and Building (RCC/Steel, constructed 2010) - forming part of the liquidation estate	**Rs. 44.55 Cr.**		
Total Reserve Price for Composite Block	**Rs. 117.64 Crs.**	**Rs. 11.764 Cr**	**Rs 1.00 Cr**
EMD of Composite Reserve Price for Block A & Block B		**Rs. 11.764 Cr**	

Litigation pending - 1): Appeal No. 294/2023 is pending before the DRAT, New Delhi, filed by Sumit Gupta (one of the legal heirs of the late Krishan Kumar Gupta), challenging the DRT-II Chandigarh order dated 18.03.2023 in SA No. 59/2021. DRT–II CHD, by order dated 18.03.2023, dismissed the said SA filed by K.K. Gupta as having no merit.

Litigation pending- 2: The Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench, vide order dated 27.10.2025 in IA No. 1454/2023, permitted continuation of the liquidation process subject to disclosure that 2 Kanal of land (16 ft. 6 in. × 660 ft.) is subject to a pending dispute concerning an alleged gift to the Gram Panchayat. The status quo order dated 17.07.2023, as modified on 27.10.2025, continues to operate, and transfer/delivery of the said parcel shall be subject to further orders of the Hon'ble NCLT, Chandigarh

Litigation pending- 3: IA No. 594 of 2026 is pending, wherein the Liquidator seeks directions against an alleged illegal occupant (referred to as Mahabir Gaushala) to vacate unauthorized occupation of open land (~12,000 sq. yds. / approx. 2.5 acres) facing the Main G.T. Road, forming part of the total land parcel at Village Jhattipur, Tehsil Samalkha, District Panipat. As per the order of Hon'ble NCLT dated 24.09.2026: "Therefore, in the interest of justice, equity and fair play, the local administration is directed to take appropriate steps to remove the pamphlet affixed on the wall of the property with the help of local police. Pending final disposal of the instant Application, the Applicant is permitted to continue the scheduled public Auction and is also permitted to take appropriate police assistance for the same."

Litigation pending- 4: Civil case no. CS/372/2023 filed by Ashu Rahul on behalf of Mahabir Gaushala vs LRs of Late K.K Gupta and consortium banks in the Court of Civil Judge (Senior Division), Samalkha.

Litigation pending- 5: Civil Suit No. CS/462/2026 before the Civil Judge, Samalkha, Panipat, filed by Sh. Sumit Gupta, legal heir of Late Sh. Krishan Kumar Gupta, seeking partition of the land & restraint on sale of the assets by the Secured Creditors & the Corporate Debtor.

Litigation pending - 6: CMA No. 98/2026 filed by Sh. Sumit Gupta before the District & Sessions Court, Panipat, against the order dated 09.09.2026 passed by the Samalkha Court in CS/462/2026, seeking restraint on the auction/sale of the assets.

Particulars	Details
Date of Publication of Sale of Notice	**17.10.2026**
Date and time of inspection or due diligence of assets	**17.10.2026 to 18.11.2026**
Date and time of EMD deposit on or before the date by the interested bidder on BaankNet through Wallet.	**On or before 18.11.2026 (Wednesay), 11:00 AM**
Date and time of E-Auction (with unlimited extension of 5 minutes each)	**20.11.2026 (Friday), 11:00 AM to 4:00 PM**

Important Note:

1. The sale shall be conducted online through the BAANKNET e-auction portal on an **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS"** and **"WHATEVER THERE IS" basis**, with the **Land, Leasehold rights and Building offered together as a single, composite block.**

2. Eligibility: Every bidder shall comply with the applicable provisions of the **SARFAESI Act, 2002 and Rules thereunder**, and the **IBC, 2016 and Liquidation Regulations**, including **Section 29A** for the liquidation assets, and satisfy the KYC and other conditions of the E-Auction Process Information Document. Eligibility shall be determined accordingly. The prospective bidder shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under Section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited.

3. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there are some litigations on the property as mentioned in the notice. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the title of property/ies put on auction and claims / rights / dues / affecting the property, prior to submitting their bid. The E- auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any Commitment or any representation of the bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues. No claim of whatsoever nature will be entertained after submission of the online bid regarding property/ies put for sale.

4. Bidders shall be deemed to have read & understood the terms & conditions of sale & be bound by them.

5. It shall be the responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves about the property before submission of the bid.

6. The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration, and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded.

7. EMD of composite reserve price shall be deposited only through the Baanknet e-wallet, on or before the last date specified above. Bidding shall be ascending, online, electronic, in multiples of the incremental bid amount, with an automatic 5-minute extension on any bid placed within the last 5 minutes of the scheduled closing time.

8. Payment Terms for the mortgaged land, sold under the SARFAESI Act, 2002: The successful bidder shall deposit 25% of the sale price for Block A* (inclusive of EMD) immediately, i.e. on the same day or not later than the next working day of the sale (Rule 9(3)) and the balance 75% within 15 days of confirmation of sale of such mortgage land by secured creditor, or such extended period as may be agreed upon by written agreement between the purchaser and the secured creditor for a period not exceeding three months from the date of confirmation (Rule 9(4)), **without interest** as specified in the E-Auction Process Information Document, in accordance with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. If the balance sale consideration is not received in full within the said period, as applicable, the sale of both the Blocks, i.e., Block A & Block B, shall stand canceled and the amount deposited shall be forfeited. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited, and the property shall be put to re-auction, and the defaulting bidder shall have no claim/ right in respect of property/amount. *Refer E-Auction Process document for details*

9. Payment Terms of leasehold rights and building, sold as part of the Liquidation Estate under the IBC, 2016: The successful bidder shall, on being invited by the Liquidator, deposit the balance sale consideration for Block B in full within 90 (ninety) days of the date of such demand, in accordance with Schedule I to the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. Any amount for Block B, paid after 30 (thirty) days of such demand shall attract interest at 12% per annum. If the balance sale consideration for Block B is not received in full within the said period of 90 days, the sale of both Blocks, i.e., Block A & Block B, shall stand canceled, and no extension of this period is available under the applicable Regulations.

10. Within 3 days of the close of the E-Auction, the Liquidator shall complete due diligence and verify the eligibility of the highest bidder (H1) for Block B and place the auction results before the Committee of Creditors under **Clauses 12A to 12C of Schedule I** (read with Regulation 33 & 31A) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. **The Authorised Officer confirms compliance with) the relevant provisions of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, and the SARFAESI Act, 2002 as applicable to the sale notice, and the Liquidator confirms that the sale shall be conducted in accordance with the applicable provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.**

11. Neither the Authorised Officer/Bank nor e-Auction service provider will be held responsible for any Internet Network problem / Power failure / any other technical lapses / failure etc. In order to ward-off such contingent situation the interested bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate power back-up etc. for successfully participating in the e-Auction event.

12. The purchaser shall bear the applicable stamp duties / Registration fee/TDS on auction price/other charges, etc. and also all the statutory/ non-statutory dues, taxes, assessment charges, etc. owing to anybody.

13. The Sale Certificate will be issued in the name of the purchaser(s) / applicant (s) only and will not be issued in any other name(s).

14. The sale shall be subject to rules/ conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, for Block A and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, for Block B. Further details/ enquiries if any, on the terms and conditions of sale can be obtained from the respective branch on the contact numbers given

15. The Liquidator reserves the right to cancel the aforesaid auction in discussions with CoC and bidder in such circumstances, and shall inform them. Accordingly, the auction for Composite block stands cancelled, and no participant or bidder shall have any claim, right, or recourse against the Liquidator or Secured Creditors arising from such cancellation

16. For the detailed E-Auction Process Information Document and registration/KYC procedure: **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home and https://baanknet.com. Queries: Liquidator - Mohit Chawla, camohitchawla@gmail.com / liq.osilexports@gmail.com, 9888003303/9813621782; Authorised Officer of Bank of India Sh. Rakesh Kumar 9987048267; Baanknet support - support.baanknet@psballiance.com, +91 8291220220.**

17. Any clarifications/ additional information by contacting **Sh. Mohit Chawla 9888003303 or email at liq.osilexports@gmail.com or Sh. Rakesh Kumar, Authorised officer on behalf of Secured Financial Creditors 9987048267.**

Sd/-
Mr. Mohit Chawla
Liquidator in the matter of
OSIL Exports Limited
IP Registration no: IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949
Address- SCO 26, Level III, Shri Balaji Complex,
Old-Ambala Road, Dhakauli, Zirakpur-140603
Registered Email id: camohitchawla@gmail.com
Correspondence Email Id: liq.osilexports@gmail.com
Contact: 09888003303/9813621782

Sd/-
Mr. Rakesh Kumar
Authorized Officer of
Bank of India
Address: STAR HOUSE,
S.C.O. 76-82, 3rd Floor, Sector-31-A,
Chandigarh-160030
Registered Email Id: ARB.Chandigarh@bankofindia.bank.in
Contact: 9987048267